

**राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़
की 128वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 128वीं बैठक दिनांक 15/09/2022 को अपवाह 12:00 बजे श्री देवाहीष दास, अध्यक्ष, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हैं—

- श्री दीपक सिंहा, सदस्य, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
- श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तदनीकी अधिकारी, समिकालय, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदूपरांत एजेंटाचार व्यापक निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेंटा आयटम क्रमांक—1

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 127वीं बैठक दिनांक 01/09/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुसूचन।

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ की 127वीं बैठक दिनांक 01/09/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा संवेदनशील से कार्यवाही विवरण का अनुसूचन किया गया।

एजेंटा आयटम क्रमांक—2

राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 417वीं एवं 418वीं बैठक क्रमांक दिनांक 25/07/2022 एवं 26/07/2022 की अनुशासा के आधार पर गौण/मूल्य व्यापारी एवं वौद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, याम—जमीरापाट, तहसील—कुसामी, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज (समिकालय का नवीन क्रमांक 2022ए)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 76931 /2022, दिनांक 13/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकाश वाम विवरण — यह प्रस्तावित बीक्साइट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान याम—जमीरापाट, तहसील—कुसामी, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज विधायक सभारा क्रमांक — 2186, 2189 एवं 27 अन्य, कुल क्षेत्रफल — 114.009 हेक्टेयर (गिजी मूलि — 107.315 हेक्टेयर एवं शास्त्रीय भूमि — 6.694 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तराधान भूमता — 91,438.03 टन प्रतिवर्ष, अपरिवर्त भूमता — 49,236.86 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 12 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेकलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकल्प को बैठक में समिलित करने बाबत पञ्च एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को द्वेषित किया गया है। पञ्च में उल्लेखित तथा निभानुसार है—

छत्तीसगढ़ मिनरल डेकलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपकरण है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बौक्साईट क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है—

क्र.	बौक्साईट स्रदान का नाम	तहसील/जिला	रक्का (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जानीरापाट	बलरामपुर/बलरामपुर-सामान्जगंज	114.009	78931
2.	सरभंजा	मैनपाट/सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला/कोरीरापाट	42.646	79075
4.	डोहकोसा	मैनपाट/सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त बैठक आवाहन के अन्तर पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्थीकृत करने अनियार्य है अन्यथा बैठक अपग्रेड की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसरी नां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ज्ञाम-पिरांगा, जिला-सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.ए. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बौक्साईट की बांध की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. की मालदान से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बौक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का गंती परिवर्द्ध द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुधार लाप हो संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होनी साध ही बैठक के लोगों को शोजगार हो अवसर उपलब्ध होने एवं होते बन दिकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ज्ञान में सख्ती हुए उक्त प्रकल्पों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा भाल जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को समिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे राज्याधिकारी ने कर्त्ता को नियमादित किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण जी दिनांक 20/06/2022 को संघन 124वीं बैठक ने विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पञ्च का अवलोकन किया गया। अतः प्राधिकरण द्वारा विभाजी उपरांत सर्वशाम्भवि से उक्त प्रकल्प को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को लेख दिये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 41वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विभाजी उपरांत सर्वशाम्भवि से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रतिवादक को समता

सुनांगल जानकारी / दस्तावेज सहित आगमी आवोधित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडीएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु शृंखित किया गया।

(५) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी उपेन्द्र कुमार डिप्टी जनरल मैनेजर एवं भी जनरल कुमार पाण्डित, चीफ जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेजाजी ओक्टोबरसीन माईन-टेक कन्वल्टेंट्स की ओर से श्री अरुण कुमार यादव उपस्थित थे। समिति द्वारा नक्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्दि पाइ गई:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- चाम पंचायत का अनापरित प्रभाग पत्र - उत्थानन के संबंध में चाम पंचायत का अनापरित प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
- उत्थानन योजना - माईनिंग घासन प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान बूर्जे, चायपुर के ज्ञापन क्रमांक स. बलरामपुर/बीकम/खाड़ी-1325/2021 रायपुर दिनांक 28/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/सीएमडीसी/2022 बलरामपुर दिनांक 21/07/2022 को उनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरेक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक शैव/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/सीएमडीसी/2022 बलरामपुर दिनांक 21/07/2022 द्वारा जारी प्रभाग पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक शैव यौसे मंदिर, मराठा, स्कूल, जनसताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिक्रियत शैव गिरित नहीं हैं।
- एलओआई संबंधी विवरण - एलओआई उत्तीर्णगढ़ शासन, रामिज साधन विभाग, महानदी बहन, नदा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-9/2021/12 नदा रायपुर दिनांक 12/01/2022 द्वारा एलओआई जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु दीया गया है।
- भू-स्थानिक्य - गूमि स्थानिक्य संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समझ अनुरोध किया गया कि उक्त शैव का खसरा, बी-१, बी-२ आदि फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी गूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्थानिषट्टा शैव पर फसल लाति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला सरकार पर प्रबल लाति मुआवजा प्रदान का गुणात्मक निजी भू-स्थानियों को खनिषट्टा अनुबंध होने के उपरांत

खासन के नियम/नियंत्रणनुसार किया जाएगा। फलता होती भूमायज्ञा भुगतान होने की परवान ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की नहीं है।
9. बन कियाग का अनापरित प्रमाण पत्र – जारीलय बनमधलायिकारी, बलरामपुर बगमढ़ल, जिला-बलरामपुर के द्वापन तामाक/नामि/2021/2992 बलरामपुर, दिनांक 10/06/2021 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी गां—जमीठपाट 2 किमी एवं ऐस्ट्रो फटेशन अमिकापुर 80 किमी की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 10 किमी दूर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान गृहगल अर्थ से बाधने पर जारील अंतराज्ञीय सीमा 3.3 किमी दूर होना पाया गया है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिसीमा में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कॉन्फ्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण – अनुगोदित क्षारी प्लान अनुसार परियोजनालिकन रिजर्व 27,89,732 टन एवं गाईनेवल रिजर्व 26,96,597 टन है। औपन कास्ट केमी मेकेनाइज्ड विहि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं लैटेराइट मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। लोज क्षेत्र में क्षार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कट्टोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिढ़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

संख्या	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	First year exploratory borehole proposed
द्वितीय	65,595.9
तृतीय	76,560.87
चतुर्थ	84,961.36
पंचम	91,438.03

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिवेदित होती है। जल की आपूर्ति क्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. बृक्षारोपण कार्य – लोज क्षेत्र की सीमा में चारी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,500 नग बृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लोज क्षेत्र के चारी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।



16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रकल्पावक हारा बताया गया कि बलस्टर से आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य भार्ता 2022 से बहुत 2022 तक किया गया है।

17. परियोजना प्रकल्पावक हारा बताया गया कि यदि लीज लीज के भीतर यह रहवास आदि अवस्थित हो तो उस की बाटाई लाभम प्राप्तिकारी की अनुमति उपरीत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त कूदों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त कूदों संबंध में हापत पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति हारा विचार विभार संपर्क सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—बलरामपुर—जगन्नाथगंज के ज्ञापन नमूक 486/खनिज/ सीएमडीसी / 2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (षाम—जगन्नाथगाट) का रकमा 114.008 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संधालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की महनी गयी।
2. समिति हारा विचार विभार संपर्क सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी' कोटेगी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पॉर इंआईए/इ.एम.पी. रिपोर्ट कौर प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिफरेंसिंग इन्वायरमेंट वलीयरेस अप्रैल इंआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई तहित) नीन कोल भाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अंतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुसंधा की गई—

- i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.
- iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary. In case any lease area comes under forest area, project proponent shall submit the stage-1 Forest Clearance under FCA, 1980 (Forest Conservation Act) before the submission of final EIA report.
- v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.
- vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

- viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.
- ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.
- x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from competent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.
- xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.
- xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.
- xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost etc.
- xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of gulland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
- xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.
- xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xxi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा दैठक में विचार – उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2022 को संघन 128वीं दैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नश्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभर्ता उपरांत सर्वसम्मति से जागिति की अनुशासा को नवीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

2. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेकलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पाम-सारभंजा, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2026)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77027 /2022, दिनांक 17 /05 /2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित बीक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान पाम-सारभंजा, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा स्थित खासा छामांक - 978, 979 एवं 208 अक्ष, गुरु शेफल-207.87 हेक्टेयर (मिली भूमि - 88.63 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि - 131.24 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तमता - 1,60,000 टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट उमता - 80,769.23 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कृत प्रस्तावित लागत 10 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेकलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31 /05 /2022 एवं 10 /06 /2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकारण की बैठक ने समिलित करने वाला पत्र एसईआईएए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

छत्तीसगढ़ मिनरल डेकलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बीक्साईट क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है-

क्र.	बीक्साईट खदान का नाम	तहसील / जिला	रक्कम (हेक्टेयर)	प्रयोजन नम्बर
1.	जामीशपाट	बलदामपुर / बलदामपुर- शामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरभंजा	मैनपाट / सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला / कावीरधाम	42.546	76075
4.	डाङकेश्वर	मैनपाट / सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आवास के आवार पर मिला है तथा मार्च 2023 की पूर्व खणिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यापार की ओरी में आ जाएगा।

मेसर्स बी.कुदरगड़ी एल्युमिनियमिकोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाम-सिनगा, जिला-सरगुजा ने एल्युमिनियमिकोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तथ्य दिनांक 28 / 02 / 2020 को एमओपी हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संघर्ष हेतु प्रतिकर्ष 2.5 बिलियन टन बीक्साईट वीरी मांग जी गई है। उपरोक्त को अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संघर्ष को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बीक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खणिज बीक्साईट प्रदाय करने हेतु लाग टर्म लिंकेज पॉलिसी वा मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20 / 07 / 2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संघर्ष के सुधार काम से संघर्षन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी ताकि केवल उपरोक्त को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगी एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ज्ञान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एसईआईएए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आवेदित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को समिलित करने एवं टी.ओ.आर. दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे सम्बन्धित में कार्य को निष्पादित किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20 / 06 / 2022 की संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः प्राधिकरण द्वारा विभार्ष उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छल्लीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी. छल्लीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) सभिति की 415वीं बैठक दिनांक 14 / 07 / 2022:

सभिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विभार्ष उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उमस्त तुसंगत जानकारी / दस्तावेज नहिं आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छल्लीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21 / 07 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) सभिति की 417वीं बैठक दिनांक 25 / 07 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उषेन्द्र कुमार डिप्टी उन्नरल मैनेजर एवं श्री जयना कुमार पाण्डित, श्रीक उन्नरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स औल्डसीस माइन-टेक कम्पाल्टेंट्स की ओर से श्री अरुण कुमार यादव उपरिक्षित हुए। सभिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिवति फाई गई—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **खाल पर्यावरण का अनापरित प्रभाव पत्र —** उत्थनन की संबंध में इस पर्यावरण का अनापरित प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्थनन योजना —** नाइजिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सेक्ट्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान यूनियन पर्यावरण के ज्ञापन क्रमांक नं. सरगुजा / बीका / खाय-1324 / 2021 रायपुर, दिनांक 28 / 04 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 गीटर की परिधि में रिथत खदान —** कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अभिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 861 / ख.लि.-1 / एम.ए.ल. / 2022 अभिकापुर, दिनांक 22 / 07 / 2022 के अनुसार आयोजित खदान से 500 गीटर की भीतर आवरित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 गीटर की परिधि में रिथत सार्वजनिक होड़/संरचनाएं —** कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अभिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 861 / ख.लि. -1 / एम.ए.ल. / 2022 अभिकापुर, दिनांक 22 / 07 / 2022 द्वारा जारी प्रभाव पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 गीटर की परिधि ने कोई भी सार्वजनिक होड़ और संदिग्ध, सरघट, स्वासु, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित होड़ निर्मित नहीं है।
6. **एलओआई, संबंधी विवरण —** एलओआई, छल्लीसगढ़ शासन, खनिज साधन कियान, महानदी भद्र, नदा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एक

3-19 / 2021 / 12 नवा रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा एसओआई, जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु पैदा है।

7. भू-स्थानिक्य - भूमि स्थानिक्य संबंधी जानकारी/प्रस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभिति के सामना अनुशोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का जलसंग्रह, बी-1, पी-2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। जलसंग्रह का जलसंग्रह भूमि को खाली कृषि से अविहान कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्तरानियटटा क्षेत्र पर फसल की मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल की मुआवजा का भुगतान निजी भू-स्थानियों को खानियटटा अनुबंध होने के उपरान्त जालसंग्रह के नियम/नियंत्रणानुसार किया जाएगा। फसल की मुआवजा भुगतान होने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, सारगुजा बनमण्डल, अमिकापुर के छापन छानांक/तक.अपि./2195 अमिकापुर, दिनांक 16/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दृशी - निकटतम आवादी पार्श्व-कोसरा 4 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अमिकापुर 62 कि.मी. की दृशी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसरी में ऊतराजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कोन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण - अनुमोदित करारी प्लान अनुसार जियोलोजिकल रिपोर्ट 46,48,320 टन एवं भाईनेश्वर रिपोर्ट 38,88,313 टन है। औपन खास्ट सेमी गेबोनाईज़ विधि से जलखनन किया जाएगा। जलखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। जलसंग्रहीत की मोटाई 0.6 मीटर एवं लैटेशनट मिटटी की मोटाई 0.8 मीटर है। बैंध की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कृषक स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान ने यांत्रिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिकाव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित जलखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित जलखनन (टन)
प्रथम	1,10,104.44
द्वितीय	1,19,936.39
तृतीय	1,38,213.76
चौथा	1,45,994.85
पंचम	1,50,000

13. खाल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक खाल की मात्रा 7 घण्टीटर प्रतिदिन होगी। खाल की आपूर्ति स्कॉट एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज हेत्र की सीमा ने बारों और 7.5 मीटर की पट्टी में 6,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज हेत्र के बारों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बहस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।
17. समिति के संझान ने यह तथ्य आया कि प्रस्तावित हेत्र में यूक्त स्थित है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त हेत्र में कुल 224 नग यूक्त (192 नग भाल, 30 नग भीखगिरी, 01 नग कटहल एवं 01 नग आम) है। उक्त के संबंध में उन परियोजिकारी द्वारा जारी प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। राजभाग प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पढ़ने पर ही उक्त यूक्ती की फटाई की जाएगी। राष्ट्रीय ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज हेत्र के भीतर कुछ रहवास निर्मित हैं। उक्त के संबंध में भाईचारे रहवास में दूष, रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किये जाने का उल्लेख है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में उपरांत पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विभार उपरांत सर्वेसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कर्तेश्वर जरगुजा (अभियान शाखा), अभियानपुर के ज्ञापन नमांक 861 / ख.लि.-1 / एम.एल./ 2022 अभियानपुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आयोदित खदान से 600 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्मित है। आयोदित खदान (ग्राम-सरमंजा) का रक्कम 207.87 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परियोजित स्थीरता/सांख्यिक खदानों का कुल हेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बहस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' के बानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विभार उपरांत सर्वेसम्मति से प्रकल्प 'बी1' के टेक्सी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकल्पित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फौर इं.आई.ए. / बी.एम.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स / एकटीविटीज रिकार्डरिंग इन्वायरनेट कलीयरेस अप्रैल इं.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में निर्मित अंगती 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल भाईचारे प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

- Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
- Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.
- Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

- iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary. In case any lease area comes under forest area, project proponent shall submit the stage-1 Forest Clearance under FCA, 1980 (Forest Conservation Act) before the submission of final EIA report.
- v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.
- vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.
- ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.
- x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from competent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.
- xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.
- xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.
- xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost etc.
- xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of gairland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
- xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

- xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xxi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2022 को संघन 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विमर्शी उपरांत सम्पादित से समिति की अनुशंसा को स्वीकृत करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

3. मेसास छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शाम—सलगी, तहसील—बोडला, जिला—कर्बीराधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1991)

ऑनलाइन आवेदन – प्रधानमंत्री नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 75075 / 2022, दिनांक 13 / 04 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 20 / 04 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाहित जानकारी दिनांक 26 / 05 / 2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बौद्धिकोष (भूज्य समिति) खादान है। खादान शाम—सलगी, तहसील—बोडला, जिला—कर्बीराधाम नियत ज्ञापन क्रमांक — 43 / 2, 61 एवं 61 अन्य, कुल क्षेत्रफल—42,646 हेक्टेयर (नियत भूमि — 32,898 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि — 9,748 हेक्टेयर) से प्रस्तावित है। खादान की आवेदित उत्तराधान क्षमता — 1,99,875 टन प्रतिवर्ष, अपरिवर्त ज्ञापन — 1,07,625 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 2.78 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31 / 05 / 2022 एवं 10 / 06 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. को लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने वाला पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेक्षित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथा जिम्मानुसार है—

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपकरण है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बौद्धिकोष सेत्रों के पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. को लिए निम्न आवेदन किया गया है—

क्र.	बौद्धिकोष स्थान का नाम	तहसील / जिला	रकमा (हेक्टेयर)	प्रधानमंत्री नम्बर
1.	जमीराधाम	बलरामपुर / बलरामपुर—रामानुजगंगा	114.009	76931
2.	सारमंजा	मैनपाट / सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला / कर्बीराधाम	42.646	75075
4.	झाङकेसरा	मैनपाट / सरगुजा	44.718	78162

सौ.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आवाद के आधार पर भित्ति है उक्त मार्च 2023 के पूर्व खनिपटटा स्थीकृत कराने अनियार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यवगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसार्स ना कुदरती एल्टुमिना रिफायनरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम-चिरंगा, जिला-तारगुजा में एल्टुमिना संयंत्र की स्थापना हेतु साज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एमओएम उत्पादित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बीकलाईट की आवश्यकता गई है। उपरोक्त के अनुकूल में सौ.एम.डी.सी. की आवाद से उपरोक्त संयंत्र को सौ.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बीकलाईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाकलाईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिकेज पीलिसी का संक्री परिवहन द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुवास रूप से संचालन होने पर साज्य शासन की साज्यता की प्राप्ति होनी साध्य ही क्षेत्र के लोगों वो रोजगार के अवसर उपलब्ध होने एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त गांवों को स्थान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। यिससे समव्यवधि में कार्य को नियमादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पञ्च का अवलोकन किया गया। आतः प्राधिकरण द्वारा विधार विधारी उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक ने नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विधार उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सामर्त्य सुसंगत जानकारी / दस्तावेज रहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु विदेशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं भी रुक्मील कुमार बन्दाकर, एसीसीटेट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसार्स अस्ती सेवा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भी उमाकांत एकमात्री रोडे उपरियत हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खादन की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. याम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र – उत्तरानन के संबंध में याम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्तरानन योजना – मार्फ़ानिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान निधनबंदक, भावतीय खान और राष्ट्रपुर के ज्ञापन क्रमांक से, कार्बीराधाम / बौंकस / यादो-1317 / 2021-रायपुर, दिनांक 01 / 04 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 घीटर की परिषि में स्थित खदान – कार्यालय कलेकटर (खनिज शास्त्र), जिला-कार्बीराधाम के ज्ञापन क्रमांक 902/ख.लि./खनिज/2022 कार्बीराधाम, दिनांक 21 / 07 / 2022 के अनुसार उल्लेदित खदान से 500 घीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्दित है।
5. 200 घीटर की परिषि में स्थित सार्वजनिक होत्र/संबंधनाए – कार्यालय कलेकटर (खनिज शास्त्र), जिला-कार्बीराधाम के ज्ञापन क्रमांक 902/ख.लि./खनिज/2022 कार्बीराधाम, दिनांक 21 / 07 / 2022 के अनुसार उक्त खदान से 200 घीटर की परिषि में द्वान-सतही बस्तहट जिसके ऊर्हांत 17 परियार निवासन स्थित हैं एवं गोठान, आगवनबाड़ी बस्तहट, कन्ची सड़क निर्मल है। इसके अतिरिक्त कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे नदी, तालाब, पुलिया, छोटे मंदिर, नस्तिम, रेत ताहान ताढ़ीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं अस्पताल आदि प्रतिबंधित होत्र निर्मित नहीं हैं। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से 200 घीटर की परिषि में आने वाले हीतों को गैर मार्फ़ानिंग होत्र रखते हुये उत्तरानन कार्य किया जाएगा, जिसका उल्लेख मार्फ़ानिंग प्लान में किया गया है।
6. एलओआई, रांबंदी विवरण – एलओआई, रांबंदीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानगरी भवन, नवा रायपुर झट्टल नगर के ज्ञापन क्रमांक एक 3-16 / 2021 / 12 नवा रायपुर, दिनांक 20 / 12 / 2021 द्वारा एलओआई जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु दिया है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि स्वामित्व संकेती जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त होत्र का खासा, बी-1, पी-2 आदि फाईनल ईआई-ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खासा नक्शा पर हाम्पर्ल निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्तराननिपट्टा होत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला झट्टल पर प्रथम में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू-स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, कवर्डी बनमण्डल, जिला-कार्बी के ज्ञापन क्रमांक/तक.ख.पि./8250 कवर्डी, दिनांक 17 / 09 / 2021 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित होत्र बन होत्र की सीमा से 20-25 घीटर की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक (भू-प्रधान), बघ्यप्रदेश, भौपाल के ज्ञापन क्रमांक

एक-1 / 2006 / 10-11 ओपल, दिनांक 23/11/2010 द्वारा बन क्षेत्र से तथा बन होते की जीवा जो 250 मीटर क्षेत्र के अंदर खानि रियायत देने हेतु डिवार लगने को लिए गठित समिति के समझ भेजे जाने वाले प्रस्ताव हेतु पर जारी किया गया था। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य बन संस्करण (संस्कारण) छातीमारगढ़ को छापन क्रमांक सं.-02/151 रायपुर, दिनांक 02/02/2022 द्वारा "उपर्युक्त निर्देश सम्बन्धित बाज्य से संबंधित से सभा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं, अतः संदर्भित पत्र द्वारा देखित निर्देशों का संक्षान में नहीं लिया जाए।" का उल्लेख है। समिति का भत है कि नियामानुसार बन संस्कारण अधिनियम 1980 तथा इसके अंतर्गत नियमों में प्राक्कानित बन क्षेत्र से नियामित दूरी छोड़कर खनन संक्रिया करेगा, के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बधन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा इसका समावेश काईनल है.आई.ए./ है.ए.पी. एप्लिकेशन में किया जाना आवश्यक है। अतः बाईंनिम प्लान में उक्त दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र रखने हुये संशोधित एवं सहम अधिकारी से अनुमोदित गाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित लीज क्षेत्र के खासरा क्रमांक 149 एवं 153, बन भूमि से लगी हुई है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी शाम-सलगी लीज क्षेत्र से लगी हुई है एवं रेलवे स्टेशन हथियांद 140 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चार्ट्रीय राजमार्ग 44 कि.मी. दूर है। हाँफ नदी 2.3 कि.मी. दूर है। दलदली आरक्षित बन 2 कि.मी. दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अलर्टजीवीय जीवा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयाशय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण कोर्ट द्वारा घोषित क्लिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र लिखत नहीं होना प्रतिषेदित किया है।
13. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित बाहरी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 15,18,678 टन एवं माइंनरेट रिजर्व 12,47,129 टन है। ओपन लाइट सेमी मेकेनाईज़िड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम गहराई 11 मीटर है। बैंक की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं ऊंचाई 1.5 मीटर है। खदान की समावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कक्षर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कट्रोल स्लारिटिंग किया जाएगा। खदान में बायू प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ्यूज़र किया जाएगा। वर्षाकार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,910
द्वितीय	50,232
तृतीय	59,202
चतुर्थ	83,720
पंचम	89,102

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान गाईनिंग प्लान में आगामी 5 वर्षों हेतु वर्षाकार उत्खनन योजना प्रस्तुत की गई है। कौन्नोप्युअल प्लान के अनुसार आगामी सालवे वर्ष में अधिकातम उत्खनन 1,99,875 टन प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की सात्रा 3.5 मीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्थीत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. बृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में बृक्षारोपण किया जाएगा।
16. खदान की 7.5 मीटर की भीड़ी सीमा पट्टी में उत्थनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थनन कार्य नहीं किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बलस्टर में आगे काली अन्य खदानों के लिए बैसलाईन छाटा कलेक्शन का कार्य भार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर यूक, रहवास आदि अवशिष्ट हो तो यूक की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपर्यात आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त यूकों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्थनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के नाम से पहची सड़क गुजर रही है। लीज क्षेत्र के दोनों ओर 50–50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्थनन कार्य किया जाएगा। उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में बृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। जिसका उत्थेता माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-
1. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), जिला-कर्वीराजग के ज्ञापन इनाम 902/व्ह. लि./खनिज/2022 कर्वीराजग, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट अन्य खदानों की संख्या निर्णक है। आवेदित खदान (खाम-शालगी) का एक्या 42.646 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में न्यौकूत/संवालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने को कारण यह खदान 'भी1' क्षेत्री की भागी गयी।
 2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से घ्रकरण 'भी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पर्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पॉर इंडिए/इ.एन.पी. रिपोर्ट पॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिकार्डरिंग इन्वायरमेंट बलीयरेस अम्भर इंडिए/ए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित लेणी 1(ए) का स्टैम्पर्ड टीओआर (लोक सुनकाई सहित) नीन कौल नाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अंतिरिक्ष टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशासा की गई-
 - i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.
 - iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.
 - iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

- In case any lease area comes under forest area, project proponent shall submit the stage-1 Forest Clearance under FCA, 1980 (Forest Conservation Act) before the submission of final EIA report.
- v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LCI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining" the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.
 - vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LCI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.
 - viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.
 - ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.
 - x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from competent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.
 - xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).
 - xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.
 - xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.
 - xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost etc.
 - xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
 - xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of gairland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
 - xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
 - xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.
 - xx. The project proponent shall submit an undertaking that the project proponent shall as per rule carryout mining after leaving the prescribed distance from the forest boundary as laid down in forest act, forest

conservation act 1980 and rule made there under and incorporate the same in EIA/EMP report.

- xxi. The project proponent shall submit the revised mining plan duly approved from competent authority.
- xxii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xxiii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – सुपरीवर्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभार्ति सुपरांत सार्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टम्सॉ ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक तो टम्सॉ ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

4. मैसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम-डाँडकेश्वर, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2073)

ऑनलाइन आवेदन – प्रयोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 78162 / 2022, दिनांक 10/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बीकराईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डाँडकेश्वर, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा स्थित छासरा क्षेत्र – 42 / 3,43 एवं 78 अम्ब, कुल हीनकल – 44.718 हेक्टेयर (निजी मृगि 44.718 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरानन क्षमता – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष, अपरिवर्त क्षमता – ₹7,307.7 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 4.8 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने वाला पञ्च एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को योगित किया गया है। पञ्च में उल्लेखित राज्य मिमान्सानुसार है—

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपकरण है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बीकराईट क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है—

क्र.	बीकराईट खदान का नाम	तहसील/ जिला	रक्का (हेक्टेयर)	प्रयोजल नम्बर
1.	जामीशापाट	बलदामपुर/ बलदामपुर-रामानुजगंज	114.009	78931
2.	सरमंडी	मैनपाट/ सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला/ कन्धील्लाम	42.646	75075
4.	डाँडकेश्वर	मैनपाट/ सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. द्वारा लेने आवश्यक के अधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व समिपट्टा स्वीकृत करने के अधिकारी है अन्यथा लेने वाले तो भी में आ जाएगा।

मेसरी ना कुदरगढ़ी एल्युमिना टिकाकरनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम-पिंडा, जिला-सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एमओयू हसाइकरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 25 मिलियन टन बीकसाईट वी मान वी गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के महायम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बीकसाईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग ठर्ने लिंकेज पालिसी का भवी परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी जबकि राज्य के लोगों वो नीजगांव के अवसार उपलब्ध होने एवं लेने पर दिकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एसईआईए ए छल्लीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी बोर्डों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समव्यवस्था में कार्य को निष्पादित किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — सुपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अत प्राधिकरण द्वारा विभार्ता उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एसईएसी-छल्लीसगढ़ वी नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एसईएसी-छल्लीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा मर्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विभार्ता उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुरांगत जानकारी / दस्तावेज राहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

राजानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी-छल्लीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं भी जयन्त कुमार पालिने, शीफ जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसरी ओफरसलीश बाईन-टेक कान्सलेटेस की ओर से भी अलग कुमार यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नर्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापरिच्छ प्रमाण पत्र — उल्लिङ्गन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापरिच्छ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उत्तराखण्ड योजना — नार्दिनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खाने नियंत्रक, भारतीय खाने ब्यूरो, रामपुर के द्वापन क्रमांक १३, सरगुजा/बीकास/खायौ-१३२८/२०२२ रायपुर, दिनांक ०१/०६/२०२२ द्वारा अनुमोदित है।
4. ५०० मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अभिकापुर के द्वापन क्रमांक ४६३/ख.लि.-१/एम.एल./२०२२ अभिकापुर, दिनांक २२/०७/२०२२ के अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरेक है।
5. २०० मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक हीन्च/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अभिकापुर के द्वापन क्रमांक ४६३/ख.लि.-१/एम.एल./२०२२ अभिकापुर, दिनांक २२/०७/२०२२ के अनुसार आवेदित खदान से २०० मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक हीन्च जैसे नाइटर, नरचट, रक्कूल, अक्षाताल, पुल, बांध एवं एनोकट आदि प्रतिवर्षित हीन्च निर्मित नहीं हैं।
6. एलओआई, संबंधी विवरण — एलओआई, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वापन क्रमांक एफ ३-२०/२०२१/१२ नवा रायपुर, दिनांक २५/०२/२०२२ द्वारा एलओआई, जारी की गई है, जो १ वर्ष की अवधि हेतु दैष है।
7. भू—स्थानित्य — भूमि स्थानित्य संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सम्भाल अनुसेव विषया गया कि उक्त हीन्च का समाना, वी-१, वी-२ आदि फाईनल हीआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसारा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा घटाया गया कि उक्त उत्तरानियटटा हीन्च पर कसल काठी मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला सरकार पर प्रबलन में है। कसल काठी मुआवजा का भुगतान निजी भू—स्थानियों को खानियटटा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/नियोजनानुसार किया जाएगा। फलान साति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात ही लहनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बनपालाधिकारी, सरगुजा बगमडल, अभिकापुर के द्वापन क्रमांक/ताक.अधि./१२२ अभिकापुर, दिनांक २१/०१/२०२२ से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार “छोटे बड़े झाह के जंगल” है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा घटाया गया कि पूर्व में ग्राम—झाड़केनारा, कुल हीन्चकल ११.३ हेक्टेयर हीन्च में बीक्साईट खनियटटा हेतु आवैदन किया गया था। परन्तु उक्त प्रमाण पत्र के प्राप्ति उपरांत हीन्चीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ विनायक लैवलपार्स कार्पोरेशन लिमिटेड के पु. द्वापन क्रमांक/अभिकापुर/२०२१-२२/६६१(१) दिनांक १०/०१/२०२२ द्वारा जारी पत्र अनुसार लीज हीन्च के भीतर बन भूमि आने के कारण कुल हीन्चकल ११.३ हेक्टेयर में से ४६.५८२ हेक्टेयर हीन्च में को आवादी हीन्च (३२.१४६ हेक्टेयर) एवं छोटे बड़े झाड़ के जंगल (१४.४३६ हेक्टेयर) होने के कारण ४६.५८२ हेक्टेयर को छोड़कर शेष ४४.७१८ हेक्टेयर हीन्च है। समिति का भल है कि छोटे बड़े झाह के जंगल हीन्च में गैर बगिची कार्य में उपयोग हेतु इन संरक्षण अधिनियम, १९८० के प्रावधान

लागू होने। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उन विभाग से अनुमति द्वारा प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – नियन्त्रण आवादी साल-डॉकेसर 700 मीटर एवं ऐल्के स्टेशन अधिकापुर 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है।
11. पारिसिवितीय/ लौबिविष्टता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय रीगा, राष्ट्रीय उद्धान, अभयारण्य, कौन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युएश एरिया, पारिसिवितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवक्षेत्रिका क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिकेंद्रित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित ज्ञानी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 36,04,080 टन एवं माइनेशल रिजर्व 24,14,655 टन है। औपन कास्ट सेमी मैक्रोनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.8 मीटर से 7.8 मीटर एवं लैटेराइट मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर से 3 मीटर है। ऐप की ऊपरी 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्राकर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में कायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है।

कार्ड	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	75,000
चतुर्थ	1,00,000
पदम्	1,25,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संकारी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. नृकारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में नृकारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र की चारी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलस्टर में आगे बढ़ी अन्य खदानों के लिए फेरलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से गई, 2022 तक किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर यूआर, रहवास आदि अवश्यत हो तो यूआर की कटाई स्थान प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त यूआर की कटाई की घोषणी अवश्य यूआर, रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। रागिति का गता है कि उक्त का संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रकार्तुरीकरण के द्वारा विभिन्न प्रस्तावकों द्वारा बताया गया कि लौज हेतु कोन्कण से सम्बद्ध गुलार रही है। लौज हेतु के दोनों तरफ 50-50 मीटर गैर माईनिंग हेतु छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा। उक्त गैर माईनिंग हेतु में तृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। यिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति द्वारा विभार विभार उपरात सर्वसम्मति से विनानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कालेजटर शारगुडा (वानिज शाखा), अभिकापुर के प्राप्ति कमांक 863 / ख.लि.-1 / एम.एल. / 2022 अभिकापुर, दिनांक 22 / 07 / 2022 के अनुसार आधिकारित खदान से 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट अन्य खदानों की संख्या निर्दिष्ट है। आधिकारित खदान (याम-डोडकेतरा) का रक्कड़ा 44.718 हेक्टेयर है। खदान की जीवा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरकृत/संधालित खदानों का गुल कॉक्फल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की घनी गयी।
2. समिति द्वारा विभार विभार उपरात सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' के टेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बोर्डले द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैफर्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पीर इ.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट पीर प्रोजेक्ट्स / एकटीपिटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट फैलायरेंस अप्लाई इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैफर्ड टीओआर (लोक सुनवाई शहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अलिस्टिंग टीओआर के साथ जारी किये जाने की घड़ी—

- i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.
- iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary. In case any lease area comes under forest area, chhote bade jhar ke jungle, project proponent shall submit the stage-1 Forest Clearance under FCA, 1980 (Forest conservation Act) before the submission of final EIA report.
- v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.
- vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

- ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.
- x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from competent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.
- xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.
- xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.
- xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years. Incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost etc.
- xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of gullied drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
- xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.
- xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xxi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को सत्रनं 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभासि चर्चात सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्ही औफ ऐफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लौक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रत्याखक को टम्ही औफ ऐफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लौक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

5. गैरकर्ता भा. शारदा घिनरला (प्रो.- श्री आशीष तिवारी, मदिरहसीद लाईम हाउस कंपानी), शाम-मंदिर हस्तीद, राहसील-आरंग, घिला-राथपुर (सचिवालय का नस्ती छम्पांक 2046)

जीनलाईन आवेदन – प्रयोग्यत नम्बर – एसआईए/ सीली/ एमआईएन/ 77308 / 2022, दिनांक 27 / 05 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीपीआर सेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह अभियान खंडन का प्रकारण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान छाम-महिरहसीय, ताहसील-आरग, पिला-रायपुर जिला खासगढ़ क्षमाक 699, कुल क्षेत्रफल-4.048 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरानन क्षमता-2,96,670 टन प्रतिवर्ष से 7,22,325 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 20 / 06 / 2022 को दावन 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:-

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (राजक परियहन और राजमार्ग बचालय), नई दिल्ली के इतापन दिनांक 24 / 12 / 2021 द्वारा मेसर्स सालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एन.एच.-130-सी.डी. सड़क निर्माण (Development of six lane Jhanki-Sergi section of NH-130-CD road from km 00+000 to km 42+800 under Raipur-Vizakhapatnam economic corridor in the state of CG on Hybrid Annuity Mode) हेतु लेख किया गया है।
- मेसर्स सालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स ना शारदा निवाला के मध्य उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु एम.ओ.यू. (Memorandum of understanding) दिनांक 31 / 03 / 2022 को हुआ है।

यूके आवेदित प्रकारण के तहत चूना पत्थर का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य हेतु किया जाना है। अतः प्राधिकरण द्वारा विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकारण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14 / 07 / 2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज शहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21 / 07 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25 / 07 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी आशीर्वाद दियायी, प्रौपराईटर उपरिधित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में चूना पत्थर खदान खासगढ़ क्षमाक 699, कुल क्षेत्रफल-4.048 हेक्टेयर, क्षमता-2,96,670 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य सरकर पर्यावरण

समाचार सिद्धांत प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़ द्वारा दिनांक 28/12/2020 को
जारी की गई।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व ने जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बारे में
पालन में की गई कार्यालयी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत
है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत कीर्तीय कार्यालय, पर्यावरण, इन
एवं जलवायन परिवर्तन मंडालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी
पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना
आवश्यक है।
 - iii. निष्पत्ति शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के द्वायन क्रमांक
912/ख.लि./तीन-८/2022 रायपुर, दिनांक 22/07/2022 अनुसार
विगत कार्य में उत्थानन कार्य नहीं किया गया है।
2. शाम पंचायत बम अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्थानन की संबंध में शाम पंचायत
का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना
प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक पूर्व से संघरित खदान है, जिसे पर्तनान
में ही-ओवरलैप की मात्राम से प्राप्त की गई है। समिति दिनांक द्वारा उक्त हेतु
लीज डीज जारी किया गया है। साथ ही प्रकरण में पूर्व में समिति द्वारा जारी
टम्ही ऑफ रिफरेंस (TOR) के अनुसार लोक सुनवाई कराई गई थी। परियोजना
प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लोक सुनवाई के दौरान भी शाम पंचायत द्वारा
कोई लिखित/सौंधिक आपत्ति नहीं की गई। अतः प्रकरण में शाम पंचायत
अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। समिति का मत है
कि चुंकि यह जमता विस्तार का प्रकरण है। अतः प्रस्तावित जमता हेतु शाम
पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्थानन बौजना – भौजिकिंकरन इन क्षारी प्लान एलीग दिये बतारी कसोजर
प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संवालक (ख.प्र.), संवालनालय, भौजिकी
लवा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. आयन क्र. 2463/खनि 02/भा.
स्ट.उन्नीसोहन/न.क.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 18/05/2022 द्वारा
अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),
जिला-रायपुर के द्वायन क्रमांक 482/ख.लि./तीन-८/2022 रायपुर, दिनांक
05/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19
खदाने कीजफल 29.858 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक लोअर/संरचनाएं – कार्यालय
कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के द्वायन क्रमांक 482/ख.लि.
/तीन-८/2022 रायपुर, दिनांक 05/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार
उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि ने कोई नई सार्वजनिक लोअर और संदिग्ध
मारिजद, गरघट, बांध, एनोकट एवं जल आवृत्ति क्रीत आदि प्रतिबंधित लोअर
निर्मित नहीं हैं।
6. लीज का विवरण – लीज गेसरी गां रायरा गिरावत्स के नाम पर है। लीज
लीज दिनांक 12/10/2020 से 11/10/2027 तक की अवधि हेतु पैध है।
7. भू-स्थानित्य – भूमि खसरा क्रमांक 899 भी ठाकुर रामचन्द्र जी स्थानी (नागरी
दास) मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। भूमि स्थानी एवं सहनिति पत्र प्रस्तुत नहीं किया

गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि यह एक पूर्ण संस्थालित खदान है, जिसे बर्तमान में है—अज्ञान के माध्यम से प्राप्त की गई है। अर्थात् सहमति पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। समिति का नहीं है कि चुक्कि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः प्रस्तावित क्षमता हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापरित प्रमाण यत्र — कायांलय वनभव्यताविकारी, रायपुर बनगड़ल, जिला—रायपुर के झापन क्षेत्र/गाँव/ला./4865 रायपुर, दिनांक 05/09/2019 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण सांख्यनाड़ों की दूरी — निकटतम आवादी मंदिर हस्तीद 1.7 किमी, छक्कल मंदिर हस्तीद 2 किमी, एवं अस्पताल मंदिर हस्तीद 2 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 किमी है। केनाल 127 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील होत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी, की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय रस्तान, अभ्यासण्ड, कन्दीय प्रदूषण नियंत्रण योन्हे द्वारा घोषित किटिकली पील्युटेल एवं या, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होत्र या घोषित जैवविविधता होत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खनन जांचदा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिपोर्ट 23,04,637 टन एवं माईनेशल रिपोर्ट 14,44,850 टन है। लीज की 7.5 मीटर और सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवित होत्र) का क्षेत्रफल 5,940 घनमीटर है। खोपन कल्पन सेमी मैक्रोग्राइफ वित्ती से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गड्ढाई कुल 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की भौमाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,600 घनमीटर है, जिसमें से 5,940 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन को लिए प्रतिवित होत्र) में फैलाकर तृक्षारोपण को लिए उपयोग किया जाएगा एवं 12,660 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज होत्र से तग्बी हुई भूमि ने गम्भारित तर्ज संरक्षित रखा जाएगा। ऐसे की कंधाई 3 मीटर एवं छोड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज होत्र में क्रांतर स्थापित नहीं है एवं इसकी रखायना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कॉटोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में यायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का लिफ्टकाव किया जाता है। यार्डार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,22,325
द्वितीय	7,22,326

13. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राहन्ड वीटर अथारिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य — लीज होत्र की सीमा में शारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 631 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग में तथा लीज होत्र के बाहर ऊपरी मिट्टी गम्भारित रखल पर 431 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार कुल 962 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन - प्रस्तुतीकरण के दीरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एलओआई जारी होने से पूर्व ही लीज लैन के घारों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,940 वर्गमीटर लैन में से 1,650 वर्गमीटर लैन 13.5 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्थानित है। पूर्व से उत्थानित लैन को पुनर्भवय किया जाना संभव नहीं है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन किया जाना पर्यावरणीय स्थीरता की जाती का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक घटकात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के द्वारा आनक पर्यावरणीय जारी गई है। शार्ट फ्रामांक VIII(c) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उपर आनक जारी के अनुसार माइन लैन लैन के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेपटी जाने में दृढ़ारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दीरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता-2,96,670 टन प्रतिवर्ष हेतु कलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बैसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2019 से 31/12/2019 के मध्य किया गया था तथा लौक सुनवाई दिनांक 10/08/2020 को शापन कराई गई थी। अतः वर्तमान में अधिकत उत्थानन कामता-2,96,670 टन प्रतिवर्ष से 7,22,325 टन प्रतिवर्ष हेतु पूर्व डाटा कलेक्शन का कार्य एवं लौक सुनवाई को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। पूर्व में लौक सुनवाई हुई थी, वह 2,96,670 टन प्रतिवर्ष कामता के लिए थी। वर्तमान में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता से अधिक उत्थानन किया जाना प्रस्तावित है। समिति का नत छ है कि दूना पाथर उत्थानन कामता 7,22,325 टन प्रतिवर्ष हेतु लौक सुनवाई कराया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में एकजित बैस लाईन डाटा का उपयोग करते हुये कलस्टर की कम्प्युटेशन ईआईए रिपोर्ट (Cumulative EIA Report) तैयार किया जाना आवश्यक है।

18. नाननीय एन.जी.टी., प्रिसेपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र याण्डे विकल्प भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल प्रिसेपल नं. 188 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को परित आदेश में मुख्य रूप से नियमानुसार निर्दिष्ट किया गया है।-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय बलौटर (खाड़िज शाखा), जिला-रायपुर की जारीन क्रमांक 482 / अ.लि. / तीन-८/2022 रायपुर दिनांक ०५/०४/२०२२ के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित १९ खदानों की अकल २९.८५८ हेक्टेयर है। आवेदित खदान (एम-बॉडिरहसीद) का रक्का ४.०५८ हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (एम-मॉडिरहसीद) को गिलाकर कुल रक्का ३३.९०६ हेक्टेयर है। खदान परी कीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरता/संभालित खदानों का कुल कोरकल ५ हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्भीत होने के कारण यह खदान 'बी' क्षेत्री की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र की ओर ७.५ मीटर छोड़े सेपटी जौन को कुछ भाग में किये गये उत्थानन के कारण इस क्षेत्र के सुपराई उपायी (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईमिन डियाकलायी के कारण उत्थान प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी पदा वृक्षान्तरण आदि के लिये समुचित उपायों आवश्यक संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा खनिकाने, इंद्रादती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. प्रतिशेषित ७.५ मीटर छोड़ी की पट्टी में अपैय उत्थान किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के दिक्कद नियमानुसार आवश्यक दण्डालमक कार्यालय किये जाने हेतु रायपुर, संचालनालय, भौगोलिक तथा खनिकाने एवं पर्यावरण को सही पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कर्तव्याली किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतियोगिता एजीकूर होमीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंडल य से बीमार्ये जाने हेतु प्रत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से प्रकाशन 'बी' क्षेत्रों का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंडल य द्वारा अप्रैल, २०१५ में प्रकाशित स्टैफर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पॉर्ट ईआईए.पी.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एवटीडिलीज रिफल्यारेंस इन्वेस्टिगेशन अप्पल ईआईए.पी.एम.पी. नोटिफिकेशन, २००६ में बर्भित बोर्डी १(१) का स्टैफर्ड टीओआर (लोक सुनवाई शहित) निन कोल माईमिन प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अंतिरिक्षा टीओआर के साथ जारी की अनुशासा की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Cumulative Environment Impact Study report in the EIA.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC, Raipur.
 - iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Proposed Capacity of Mining.
 - v. Project proponent shall submit the consent letter from land owners for uses of land.

- vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & overburden plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS and submit an affidavit that controlled blasting shall be done by Explosive License Holder & incorporate the permission in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit to accomplish the commitments made to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies.
- x. Project proponent shall undertake noise study (incorporating in the mining operation, vehicular movement during mine operation, control blasting etc) and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).
- xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.
- xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiv. Project proponent shall submit the restoration plan and shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा ऐडक में विचार – सुपरीकरण प्रवालय पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संघन 126वीं ऐडक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अफलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श सुपरांत सर्वेताम्पति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करती हुये सुपरीकरणद्वारा उन्हें ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लौक सुनवाई राहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है:-

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के घारों और 7.5 मीटर छोड़ सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्तराधिन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायी (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकरताही के कारण स्वतन्त्र प्रदूषक नियंत्रण हेतु आवश्यक दापादी यथा सुखारोपण आदि के लिये समुदायित साधारणी बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा सुनिकर्म, इंद्रावली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिवर्षित 7.5 मीटर छोड़ सेपटी के अंदर उत्तराधिन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विलक्ष नियमानुसार आवश्यक दण्डालयक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा सुनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के घारों और 7.5 मीटर छोड़ सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्तराधिन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन बंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन भंडालय से मिलाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (सेक्टर सुनवाई सहित) जारी किया जाए। राष्ट्रीय संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा सुनिकर्म, इंद्रावली भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन बंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

6. गैरवार्ता नरदहा लाईन स्टोन बवारी (प्रो.- श्री संदीप बर्मा), गाम-नरदहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (संचिवालय का नम्रता क्रमांक 1970)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ रीजी/ एमआईए/ 261729 / 2022, दिनांक 16 / 03 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन ने कमिशन होने से छापन दिनांक 29 / 03 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु मिर्दिशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याचित जानकारी दिनांक 04 / 05 / 2022 की ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पाल्चर (गौण सुनिज) खदान है। खदान गाम-नरदहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खदान क्रमांक 765, कुल होकरफल-1.05 हेक्टेयर से प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तराधिन क्षमता-38,755 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25 / 07 / 2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07 / 06 / 2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 600 मीटर भीतर अवस्थित खदानों का होकरफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया

जाना था परन्तु उनके हारा पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति हारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकारण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण हारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संयम्न 120वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण हारा नस्ती का अबलोकन किया गया। प्राधिकरण हारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से राज्य सत्राय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। एटमान में प्राप्त प्रस्ताव को यथावत् घापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि यह भारत परिकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हारा जारी ई-आई-ए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाइडलाईन्स के अनुसार आवश्यक कार्रवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को राजानुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. मैसर्स ए.टी. स्टोन (प्रो.— मोहम्मद आरिफ, बहनाकांडी लाईग स्टोन चवारी), याम—बहनाकांडी, तहसील—आरंग ज़िला—रायपुर (संविलालय का नस्ती क्रमांक 1990)

ऑनलाईन आवेदन – धूर्व में प्रयोजन सम्बर — एसआईए/ रीडी/ एमआईएन/ 267611/ 2022, दिनांक 13/04/2022 हारा पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 21/04/2022 हारा जामकांडी प्रस्तुत करने हेतु मिर्दशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक हारा वाहित जामकांडी दिनांक 27/04/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह धूर्व से संबंधित चूना फ्लार (गोण खनिज) खदान है। खदान याम—बहनाकांडी, तहसील—आरंग ज़िला—रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 498, 499, 500, 501, 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल—1.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन क्षमता—20,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति हारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अबलोकन एवं परीकाय करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/06/2022 हारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 500 ग्रीटर के भीतर अपरिवर्त खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके हारा पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति हारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकारण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वेसमिति से शाज्य स्तरीय विशेषज्ञ बूत्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुसंधा को स्थीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्राप्त प्रस्ताव को यथावत् पापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि यह भारत सरकार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए अधिरूपना, 2006 (यथा जारीकिया) एवं समय-समय पर जारी गाइडलाइन्स की अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुधित किया जाए।

8. गेशर्स श्रीमती शोहिनी देवी मिशा (नदिनी-खुदिनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम-नदिनी-खुदिनी, तहसील-घग्घा, ज़िला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती नमांक 70)

आवेदन — पूर्व में प्रफोल नमबर — एसआईए/ सीपी/ एमआईएन/ 46530/ 2015, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनिलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुनःविचार किये जाने हेतु दिनांक 20/06/2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2017 द्वारा प्रकरण की-1 कोटेगरी का हीने के करण भारत सरकार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 ने प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिपोर्टेस (टीओआर) को ईआईए/ईएम.पी. लिस्ट पौर प्रोजेक्ट्स/एकटीविल रिकार्डिंग हन्दायरमेट कलीयरेस अफलर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित खेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 102वीं बैठक दिनांक 21/10/2020 में श्रीमती शोहिनी देवी मिशा (नदिनी-खुदिनी लाईम स्टोन माईन) को ग्राम-नदिनी-खुदिनी, तहसील-घग्घा, ज़िला-दुर्ग के खातारा नमांक 1909(पी) में स्थित बूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल — 1.92 हेक्टेयर, कमता — 40,500 टन प्रतिवर्ष हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को लिए निर्धारित राशि रूपये 16,70,000/- का डिमाण्ड द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाल मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, ज़िला-रायपुर में जगा नहीं करने के कारण प्रबन्धण को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 115वीं बैठक दिनांक 22/09/2021 में लिये गये निर्णय अनुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन नमांक 1442, दिनांक 28/09/2021 द्वारा डि-लिस्ट/निरस्त किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को लिए निर्धारित राशि रूपये 16,70,000/- का डिमाण्ड द्वारा अपरिहार्य काशणी

से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न मंडल, नक्का रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर में जमा नहीं किया गया था। अतः उक्त राजि को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न मंडल, नक्का रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर में जमा करने हेतु आवेदा जारी करने का अनुचेत जिया गया है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत पत्र का अपलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि चूंकि आवेदित प्रकरण को पूर्व में ही प्रकरण में भी एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन क्रमांक 1442, दिनांक 28/09/2021 द्वारा डि-लिस्ट / निरस्त किया गया है। अतः प्रकरण में पुनर्विचार किया जाना शर्मिष्ठ नहीं है।

समिति द्वारा विचार विभाँ उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने की अनुमति की गई तथा इ.आई.ए. नॉटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अनुपालन में पुनः आवेदन करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को सारान्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अपलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभाँ उपरांत सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुमति को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया कि नियमनुसार प्रतिवित समझ नियमों का पालन करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

9. मेसर्स औम श्री रमेश रामेश प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम—चिराईपानी, तहसील व जिला—रायगढ़ (समियोजन का नस्ती क्रमांक 1892)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एस.आई./ सी.आई./ आई.एन.डी./ 70583 / 2021, दिनांक 27/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम—चिराईपानी, तहसील व जिला—रायगढ़ रिहाय प्लाट क्रमांक 42, 37/2, 37/1/क, 104/1 एवं 104/2, कुल क्षेत्रफल — 3.471 हेक्टेयर में लगता विलास के लहूत इकलूदान कर्नेस विध सीसीएन क्षमता — 28,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,46,900 टन प्रतिवर्ष तथा टीलिंग मिल क्षमता — 2,34,612 टन प्रतिवर्ष (हीट चार्निंग आधारित क्षमता — 1,80,512 टन प्रतिवर्ष एवं शी.हीटिंग कर्नेस कोल मैसीफायर आधारित / पल्वराईफल कोल क्षमता — 74,100 टन प्रतिवर्ष), पाइप मिल क्षमता — 1,22,600 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्बोकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 48.53 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयानंद अग्रवाल, डॉकरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. जल एवं वायु सम्मति —

- क्षेत्रीय कार्यालय, छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बड़ल, शायगढ़ द्वारा एम.एस. इंगार्ड्स नस्ती 28,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 12 / 10 / 2021 को जारी की गई है, जो 01 वर्ष की अवधि हेतु (Date of commissioning of the plant) दिया गया है।
- चर्तगान में स्थापित इकाईयों हेतु छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बड़ल द्वारा जारी सम्मति नस्ती के पालन में की गई कार्यवाही की विन्युवाद जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. निकटतम स्थिति कियाकलाई संबंधी जानकारी —

- निकटतम आसाधी घास—पाली 1 किमी., शहर शायगढ़ 10 किमी एवं रेलवे स्टेशन किरोडीगढ़ नगर 7 किमी. की दूरी पर स्थित है। जायमार्ग 800 बीटर की दूर है। केली नदी 1.5 किमी. दूर है।
- उद्दना आरक्षित घन 520 बीटर, बारकछार आरक्षित घन 1 किमी., तराईगढ़ आरक्षित घन 3.6 किमी., बोईरदयार आरक्षित घन 8.43 किमी., केन्द्रशोगरी संरक्षित घन 2.5 किमी. एवं लाला संरक्षित घन 1 किमी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय रीम, राष्ट्रीय रुद्धान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रोतिष्ठित किटियाली भौत्युट्टु एरिया, पारिंतिवालीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रोतिष्ठित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. मू—स्थानित संकीर्ण दस्तावेज (बी—1) प्रस्तुत किया गया है।

4. लेन्ड एरिया स्टेटमेंट —

Land use	Existing		After Expansion	
	Area (in Sq. m.)	Area (%)	Area (in Sq. m.)	Area (%)
Built Up Area	0.8426	35	1.5758	45.40
Road Area	0.2407	10	0.3332	9.50
Green Belt Area	0.8023	33.33	1.1570	33.50
Open Area	0.5215	21.67	0.4050	11.50
Total	2.4070	100	3.4710	100

5. रो—मटेरियल —

For Induction Furnace (Steel melting shop)		
Name of Raw Material	Quantity (TPA)	Mode of Transport
Sponge Iron	2,32,075	
CV Pig Iron Heavy Scrap	51,176	
Ferro Alloys	2,559	
Ramming Mass & other Refractory linings	370	By Road Through Covered Vehicles

For Hot Charging Rerolling Mill		
Hot Billets	1,66,960	Internal Transfer
For Reheating Furnace based Rolling Mill		
Cold Billets Internally Available	78,000	Internal Transfer By Road Through Covered Vehicles
Coal	8,892	By Rail & Road Through Covered Vehicles
For Pipe Mill		
MS Strip Through Re-heating Furnace and outside Market	1,29,036	Internally available and through covered trucks from nearby steel plants

६. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particulars	Existing Capacity (in TPA)	After Expansion Capacity (in TPA)
Steel Melting Shop (Induction Furnace with CCM)	28,600 TPA (1 X 10 T & 1 X 6 T Furnace)	246,960 TPA (6 X 12 T Furnace)
Hot Charging based Rolling Mill	-	1,60,512
Reheating Furnace based on Coal Gasifier/ Pulverised Coal Rolling Mill	-	74,100
Pipe Mill	-	1,22,800

७. यायु प्रदूषण नियंत्रण अवधारणा – प्रस्तावित परियोजना को अतंगत दुष्प्रभवान मर्मेश्वर में यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग हिल्टर एवं विमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रस्तावित परियोजना हेतु रि-हिटिंग फर्मेश आधारित रोलिंग मिल में बैट रक्कम एवं विमनी लगाया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त अवधारणा से पार्टिकुलेट मैटर का उत्तरार्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है।
८. रोल अपशिष्ट अपवहन अवधारणा – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरात स्टील मेलिंग शॉप से डिफोर्मिट्र बिलेट्स – 2,520 टन प्रतिवर्ष, मिल रूकेल – 2,520 टन प्रतिवर्ष, रसेग – 29,196 टन प्रतिवर्ष, रिफेक्ट्री एप्ल रमिंग गारा वेर्स्ट – 186 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से मिल रूकेल – 4,938 टन प्रतिवर्ष, डिफोर्मिट्र एप्ल मिस रोल – 7,409 टन प्रतिवर्ष, कोल ऐण – 4,001 टन प्रतिवर्ष तथा पाईप मिल से एमएस रूकेप – 6,452 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्टील मेलिंग शॉप से उत्पन्न डिफोर्मिट्र बिलेट्स एवं मिस रोल को रख्य के रि-रोलिंग प्लांट में रूकेप के रूप में उपयोग अथवा अन्य रोलिंग मिल को विक्रय किया जाएगा। रोलिंग मिल से उत्पन्न मिल रूकेल को समीपस्थि फौरो एलीय /पेलेट प्लांट को विक्रय किया जाएगा। स्लेग को मेटल रिक्कहरी के लिए आंतरिक रूप से उपयोग (Used Internally) एवं ईट निर्माण इकाई को उपस्थि अथवा गेटल रिक्कहरी इकाई को विक्रय किया जाएगा। रिफेक्ट्री एप्ल रमिंग गारा वेर्स्ट को अधिकृत रिसायर्लर को विक्रय किया जाएगा। कोल ऐण को डिफ मिर्माण इकाई अथवा सीमेंट निर्माण इकाई को विक्रय किया जाएगा। एमएस

पाईप मिल से उत्पन्न एवं एस. कॉम को रुपय के रि-सेलिंग प्लॉट में कॉम के लिए मैं उपयोग अथवा अन्य सेलिंग मिल को दिल्ली किया जाएगा।

१८. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल स्वपत एवं रजौत - बर्तमान में परियोजना हेतु कुल 80 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 210 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 201 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 9 घनमीटर) जल का उपयोग किया जाएगा। बर्तमान में भू-जल की उपयोगिता (80 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अधीरिटी से दिनांक 20/11/2023 तक की अवधि हेतु अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। सेलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी. (चूटिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपयोगित जल को डस्ट साप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। बर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक एवं रोकविट निर्माण किया गया है। शून्य निसरारण की स्थिति रखी जाती है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल की मात्रा एवं उसके उपचार की जामकारी (प्रोतीस पलो फार्ट राइट) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- भू-जल उपयोग प्रबंधन - परियोजना उपरांत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जॉन में जाता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उच्चीयों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्वाहण एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्डिंग / ऑर्टिकिलिंग जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उच्चीय जल रेनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था - बर्तमान में रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का यत है कि रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल रेन ऑफ बीटर की विस्तृत गणना / जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था परामार्श परिषद के पूर्ण एनबीफ की रिचार्ज किया जा सके तथा तभी रिचार्ज स्ट्रक्चर इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. विद्युत आपूर्ति स्रोत – वर्तमान में परियोजना हेतु 5.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त परियोजना हेतु 21 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 लग 750 कोडी.ए. क्षमता का दी.जी. रोट रथापित है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 लग 750 कोडी.ए. क्षमता का दी.जी. रोट रथापित किया जाएगा।

11. बृहारोपण संबंधी ज्ञानकारी – प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 1.157 एकड़ेयर (लगभग 33.5 प्रतीशत) क्षेत्र ने पौधे सोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वेक्षणमति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्युवार ज्ञानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दीशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के हाथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा ज्ञानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अचलीकन एवं परीक्षण करने पर सिध्ति पाई गई कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ज्ञानी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्युवार ज्ञानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यद्यपि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि ज्ञानी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्युवार ज्ञानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08/06/2022 को ऑफिस मेनोरेण्डम जारी किया गया है। अतः सुपरोक्त ऑफिस मेनोरेण्डम को अलावा पर अतिरिक्त टीओआर सहित स्टैण्डर्ड टीओआर जारी किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विभर्ण संपर्कात् वार्द्धसम्मति से प्रकाशण दो—1 फॉटोग्राफ़ का होने के कानून भारत सरकार को पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) पॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर ब्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिवेयरिंग इन्वायर्नेट बलीयरेस अफ्फर ई.आई.ए. नीटिपिकेशन, 2006 में वर्णित ऐसी ३(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फैक्ट्री एवं नीग-फैक्ट्री) हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक जलवाई सहित) निम्न अतिरिक्त विन्युओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:-

- I. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- II. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- III. Project proponent shall submit the NOC from forest department, mentioning distance between project boundary to Wildlife sanctuary & forest boundary.



- iv. Project proponent shall submit the elephant movement corridor conservation plan.
- v. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with chimney height and pollution emission level calculation (for existing & proposed).
- vi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- vii. Project proponent shall submit the revise layout plan for increasing Plantation area and earmarking atleast 20m wide green belt all along the periphery of the project area.
- viii. Project proponent shall submit affidavit for Public Hearing Commitment.
- ix. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for after expansion quantity).
- x. Project proponent shall submit details of Traffic study report (for existing & proposed).
- xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरीक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किए से उपर्युक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करती हुई उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई शाहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का विनियोग किया गया:-

- i. Project proponent shall carryout Social Impact Assessment & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.
- ii. Project proponent shall submit the Mass Balance & Energy Balance with detail calculation for the proposed plant.
- iii. Project proponent shall submit an action plan to mitigate the impact of CO₂ emission from the plant operations, the measures undertaken in

the process and minimize use of fossil fuels. Project proponent shall submit a study report on the decarbonization programme which would essentially consist of company's carbon emission, carbon budgeting/carbon balancing, carbon sequestration activities & carbon off setting strategies. Further, the report shall also contain time bound action plan to reduce its carbon intensity of its operations & supply chain, energy transition pathway from fossil fuel to renewable energy etc. All these activities / assessment should be measurable & monitorable with a defined time-frame. These studies shall be formulated keeping in view that India's Net Zero commitment at the COP26 Climate Summit and shall be part of the proposal eventually for Environmental Clearance.

- iv. Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system.

परियोजना प्रस्तावक यो टम्स ऑचे ऐफरेन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

10. गैरार्स जय मां काली रटोन क्षेत्र (प्रो.- श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, हसितनापुर ऑफिनरी रटोन क्षारी), याम-हसितनापुर, लहसील-गोन्डगढ़, बिला-कोरिया (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1822)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 230786 /2021, दिनांक 25/09/2021 हारा पर्याप्ततीय स्थीरता हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक हारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 हारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। किसको परियोजना में परियोजना प्रस्तावक हारा बाहिर जानकारी आज दिनांक सक अप्राप्त है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित साधारण पत्रिका (गीत खनिज) खदान है। खदान शाम-हस्तिनापुर, तहसील—मनोदगढ़, जिला—कोटिया स्थित खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल—1.215 हेक्टेयर गे है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता—15,397 टन प्रतियार्ष है।

बैठक का विभारण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.आर. हैटु औनलाईन आवेदन किया जाना या परन्तु उनको द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता है तो उनका आवेदन किया गया है।

समिति हारा विभाग विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डिलिस्ट/गिरस्ट किये जाने तथा विधिवत आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक को सेवा किये जाने की अनशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा ऐलक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण ने दिनांक 15/09/2022 को संघर्ष 128वीं ऐलक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा किसी भी उपर्युक्त संस्थानभित्र से राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तीर्णगढ़ की अनुशंसा की स्वीकार करने हुए आवेदन को कि-लिस्ट / लिस्ट करने का निर्णय किया गया। वर्तमान में प्राप्त प्रस्ताव को बधायत् यापन किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई-आई-ए. अधिसूचना, 2006 (या संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसरी आमाकोनी लाईम स्टोन कारी माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.- श्री विकें अष्टवाल), शाम-आमाकोनी, तहसील-सिमगा, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा (संक्षिप्तालग का नक्शी छापांक 1853)

ओनलाईन आवेदन — प्रपोजाल नम्बर — एसआई / सीपी / एमआईएन / 69928 / 2021, दिनांक 09 / 12 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ओनलाईन आवेदन में किसी होने से ज्ञापन दिनांक 20 / 12 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाहित जानकारी दिनांक 04 / 02 / 2022 को ओनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गोल खनिज) खदान है। खदान शाम-आमाकोनी, तहसील-सिमगा, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा छापांक 36 (पार्ट), 36 (पार्ट) एवं 38, कुल क्षेत्रफल—1.01 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। सूखान की अवैदित उत्तराधन लम्बा—32,313.75 टन प्रतिघर्ष है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ को ज्ञापन दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

- (अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विकें अष्टवाल, घोपराईटर उपरिषद हुए। समिति द्वारा जरूरी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तराधन के संबंध में शाम पंचायत आमाकोनी का दिनांक 10 / 03 / 2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। शाम पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक संहित) का अदान प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्तराधन बोर्ड — कारी माईनिंग प्लान एलांग विच माईन बलोजार प्लान विच इन्वेस्टीमेंट बोर्ड प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खप्र), संचालनालय, भौगोलिक तथा खणिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पूर्व छापन छापांक 6111 / रानी02 / ना.प्ल.अनुग्रहन / न.क्र.08 / 2021(4) नवा रायपुर, दिनांक 02 / 12 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 वीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के झापन इमारक 1053/ख.लि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 12/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 वीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानों कोषकल 65.093 हेक्टेयर है।
5. 200 वीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के झापन इमारक 1063/ख.लि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 12/01/2022 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 वीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे बौद्धिक, मरम्बद्ध, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित होत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं एलओआई, संबंधी विवरण – भूमि आवेदक की नाम पर है। एलओआई, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के झापन इमारक 680/गी.खनिज/उ.प./2020 बलीदाबाजार, दिनांक 08/09/2021 हारा एलओआई जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रनतुर की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रगाण पत्र – लीज सीमा से गिरावटम बन होत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रगाण पत्र प्रनतुर किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – गिरावटम आवादी ग्राम-आमाकोनी 1.15 किमी, एवं स्कूल ग्राम-आमाकोनी 1.1 किमी, एवं अस्पताल ग्राम-सुहेला 3.66 किमी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 225 किमी, एवं राजमार्ग 85 किमी, दूर है। तालाब 1 किमी, एवं गहानदी कोनाल 0.72 किमी, दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जौवाहियिकता संवेदनशील होत्र – परियोजना प्रस्तावक हारा 10 किमी, की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, सहीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदृश्य निवंत्रण होत्र हारा घोषित विटिकली पील्चुटेह एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील होत्र या घोषित जौवाहियिकता होत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुमानित क्षारी प्लान अनुसार गियोलीजिकास रिजर्व 4,72,681 टन (1,89,064 घनमीटर), माइनेशल रिजर्व 2,28,135 टन (91,254 घनमीटर) एवं रिकवरेशल रिजर्व 2,16,728 टन (86,681 घनमीटर) है। लीज की 7.5 वीटर होत्री सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित होत्र) का होत्रफल 3.081 घनमीटर है। औपन कास्ट सेमी मैकेनाइज़ल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित खालिकतम रहाहाई 20 मीटर है। ऊपरी गिट्टी की गोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल गात्रा 2,808 घनमीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित होत्र) में फैलाकर खुक्खातीय के लिए उपयोग किया जाएगा। यौवनी जी 1.5 मीटर एवं बीडाई 1.5 मीटर है। खदान की समावित आयु 8 वर्ष है। लीज होत्र में कशर रखायित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। यौवनी हैमर से ड्रिलिंग एवं कांट्रोल खालिकें किया जाएगा। खदान में लायू प्रदृश्य निवंत्रण हेतु जल का फिल्टराय किया जाएगा। खदान में लायू प्रदृश्य निवंत्रण हेतु जल का फिल्टराय किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	29,948
द्वितीय	32,313
तृतीय	26,751
चतुर्थ	25,290
पंचम	30,000

नोट: लालिका में दरामलव की बाद के अको को राजस्वाधीका किया गया है।

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.3 मीट्रिक्टर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति यान पंचायत से टैकर के माध्यम से दिया जाएगा। इस बाबत यान पंचायत का अनापरित प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
13. बृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीट्र वाली पट्टी में 1,000 नन बृक्षारोपण किया जाएगा।
14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हारा बताया गया कि बलस्टर में आने वाली समस्त स्थानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 माह से 31 मई, 2022 के मध्य किया गया है। उसका एकाजित बेसलाईन डाटा को ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया।
15. स्थान की 7.5 मीट्र की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीट्र की सीमा पट्टी का कुल वीजफल 3,081 कर्गीट्र क्षेत्र है, जिसमें से 606 कर्गीट्र क्षेत्र 4 मीट्र की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उत्सर्जन अनुमोदित माईनिंग प्लान में दिया गया है। प्रतिक्रिया 7.5 मीट्र चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन दिया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की राती का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विकल्प निम्नानुसार आवश्यक दण्डालाक कार्रवाही किया जाना आवश्यक है।
16. उत्सर्जनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं डिल्टी हारा नीन कोल माईनिंग फ्रॉन्टेन्स हेतु मानक पर्यावरणीय राती जारी की गई है। राते छमांक VIII (i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक राती के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीट्र चौड़े रोपटी जौन में बृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्सर्जनीय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. यान पंचायत के अनापति प्रभाव पत्र (वार्यावाही वैठक तहित) का जाहाजन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम बन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु बन विभाग से जारी अनापति प्रभाव पत्र की अदानन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. अंतिवर्धित 7.5 बीटर छोड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्तराखण्ड किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालन, संचालनालय, भौमिकी तथा रानिकर्म एवं पर्यावरण को कानून द्वारा जाने हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण परिषार मेंडल, नदा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उदानुसार एस.ई.ए.सी., छलीरामगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिषेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नवरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिः पाई गई—

1. उत्तराखण्ड के संघेव में राम पंचायत आमाकोनी का दिनांक 10/03/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संघेव में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में क्षारी लीज श्री दिवेक अद्यवाल (आदेदक) के नाम पर श्री जिसकी वैधता रामापात्र होने के पश्चात् उसमें से कुछ क्षेत्र में पुनः क्षारी लीज के लिए आवेदन किया गया है। अतः प्रस्तुत राम पंचायत आमाकोनी के अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. कार्यालय बनामण्डलाधिकारी, रायपुर सामान्य बनामण्डल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./ रा./979 रायपुर दिनांक 06/04/2005 द्वारा जारी प्रतिवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संघेव में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में क्षारी लीज श्री दिवेक अद्यवाल (आदेदक) के नाम पर श्री जिसकी वैधता रामापात्र होने के पश्चात् उसमें से कुछ क्षेत्र में पुनः क्षारी लीज के लिए आवेदन किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रतिवेदन पत्र को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा जलवैद्य पार्किंग विकल्प भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेत में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभासी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कालेक्टर (रानिज शाखा), जिला-बलीदाराजार-भाटापाटा के ज्ञापन क्रमांक 1053/ख.लि./2021 बलीदाराजार, दिनांक 12/01/2022 को अनुसार आवेदित रायदान से 500 बीटर अवधित 33 खादाने, होत्रफल 65,093

हेक्टेयर है। आवेदित खदान (आम—आमाकोनी) का रक्का 1.01 हेक्टेयर है। इस प्रत्यापन आवेदित खदान (आम—आमाकोनी) को मिलानन कुल रक्का 66.103 हेक्टेयर है। खदान की सीमा ५०० मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल संज्ञकल ६ हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज लैंड की सारी और ७.५ मीटर चौड़ी संपत्ति जीन के कुछ भाग में किये गये प्रत्यापन के कारण इस लैंड के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज लैंड के अंदर माईनिंग कियाकरतापी के कारन प्रत्यापन प्रादूरण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा पृष्ठानोपण आदि के लिये समुचित उपायों वाले संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती भरन, नवा रायपुर झट्टल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. प्रतिबंधित ७.५ मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में आवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विलम्ब नियमानुसार आवश्यक इच्छालभक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को शांति पहुंचाने हेतु प्रत्यावरण तंत्रज्ञान बंडल, नवा रायपुर झट्टल नगर की आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. समिलि द्वारा दियार दिग्भी उपरांत सर्वसम्मति से प्रबन्धन 'बी' के टेगरी बज होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन संचालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पौर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और ड्रोगेक्टस/एकटीविटीज रिकार्डिंग इन्वायरमेंट बलीयरेस अप्पर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में दर्जेत अंगी १(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (तोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग ड्रोगेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
 - iii. Project proponent shall submit the Gram Panchayat NOC for supply and permission for usage of the supplied water.
 - iv. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies.
 - v. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.
 - vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
 - viii. Project proponent shall submit the copy of panchnames and photographs of every monitoring station.
 - ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

- x. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- xi. Project proponent shall submit permission from DGMS for blasting & incorporate the permission in the EIA report.
- xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की बिना 15/09/2022 को सम्पन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नरती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विमर्श उभराते सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को लीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ ऐक्सेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) निम्न अतिरिक्त जारी करने का निर्णय लिया गया:-

- i. Project proponent shall submit the LOI extension copy.
- ii. Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि-

1. माझे लीज लीज को जारी और 7.5 मीटर लीडे सेफटी जोन के कुछ भाग में किये गये सत्त्वानन के कारण इस लीज को उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज लीज के अदर भाईनिंग क्रियाकलापों के कारण सुधारने प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों द्वारा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों वालत संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकाने, इंद्रावती घटन, नवा रायगुर बाटल नगर, जिला – रायपुर (उत्तीर्णगढ़) को इन लेख किया जाए।

2. प्रतिवेदित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अद्वितीय उत्तराखण्ड के लिये जाना गया जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं सूचितगर्त वो पत्र लेख किया जाए।

3. नाईन लीज क्षेत्र के लालो और 7.5 मीटर चौड़ी शोफटी जौन के कुछ भाग में लिये गये उत्तराखण्ड के कानून पर्यावरण की सहि पहुंचाने हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टमर्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) समर्त जारी किया जाए। चाल ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा सूचितगर्त हाइवाली मंडल, नवा रायपुर अटल नगर एवं उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

12. बेसार्त श्री बालाजी रुठोन हँडस्ट्रीज (पाटनर - श्री रामा अरुण कुमार शिंह, सौरवारी रुठोन क्वारी प्रोजेक्ट), ग्राम-खैरवारी, तहसील-सिंगारा, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा (संविवालय का नम्बर क्रमांक 1909)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन /70968/2022, दिनांक 10/01/2022 द्वारा श्री.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कवियों होने से ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाधित जानकारी दिनांक 04/02/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह कामता विस्तार का प्रबन्धन है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मौजूद खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खैरवारी, तहसील-सिंगारा, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पाटी), कुल क्षेत्रफल-1.788 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तराखण्ड कामता-80,000 टन प्रतिवर्ष है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश पटेल, पाटनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नमी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पाटी), कुल क्षेत्रफल-1.788 हेक्टेयर, कामता-38,123 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता के राती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परन्तु प्रकल्पन क्षमता विस्तार का है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता का पालन प्रतिवेदन भेंगाया जाना आवश्यक है।
- iii. निम्नानुसार कूदारेपथ नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 104 / खालि / दोन-1 / 2020, बलीदाबाजार, दिनांक 09 / 05 / 2022 द्वारा विगत वर्षी में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	निरेक
2018-19	10,900
2019-20	20,250
2020-21	34,600
2021-22	37,500

2. शाम पंचायत का अनापत्रित प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में शाम पंचायत यासीन का दिनांक 28 / 09 / 2012 का अनापत्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन खोजना – स्वीम डीप कारी प्लान एलांग विष भौदियार्ड भाईन कलोजर प्लान विष इन्हायरीमेंट ऐमेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संधुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5979 / खनि02 / ना.प्ल.अनुसोदन / न.आ.08 / 2021(1) नवा रायपुर, दिनांक 23 / 11 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 87 / खालि / 2022 बलीदाबाजार, दिनांक 05 / 05 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवधित 3 खदाने, हेचफल 4367 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सारंचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 87 / खालि / 2022 बलीदाबाजार, दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र या संग्रहालय, रक्कह, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकाट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्गित नहीं हैं।
6. लीज का विवरण – लीज छोड़ भी कालाजी स्टोन हंडस्ट्रीज के नाम पर है। लीज 10 वर्षी अर्धात् दिनांक 01 / 12 / 2007 से 30 / 11 / 2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज 20 वर्षी अर्धात् दिनांक 01 / 12 / 2017 से 30 / 11 / 2037 तक की अवधि हेतु किसारित की गई है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि श्री योगेश घटेल, श्री तस्म घटेल, निकुंज घटेल, श्री जयन्ती भाई घटेल एवं श्री मंगल भाई घटेल पाठीनर हैं।

पार्टनरशीप सील की प्रति प्रस्तुत की गई है। भूमि संबंधी वस्तावित प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन शिमान का अनापलित प्रगाण पत्र — कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, बलीदाबाजार बनमण्डल, बलीदाबाजार के द्वापन क्रमांक/तकाती/खानिल/2021/2266 बलीदाबाजार, दिनांक 02/08/2021 से जारी अनापलित प्रगाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी घाम—सौरवारी 1.02 कि.मी. एवं स्कूल घाम—सुहेला 1.3 कि.मी. एवं असपाताल घाम—सुहेला 1.65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राजमार्ग 11 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं जग्नुना नदी 8 कि.मी. दूर है।
11. पारिसंरक्षणीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अलर्जीजीय सीमा, राष्ट्रीय चक्रान् अभयारण्य, कैन्टीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विटिकली पील्युट्रेड एरिया, पारिसंरक्षणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन नांगदा एवं खनन का विवरण — अनुमोदित बायारी प्लान अनुसार खननांगिकल रिजर्व 8,73,600 टन (3,49,440 घनमीटर), माइग्रेशन रिजर्व 3,98,849 टन (1,59,539 घनमीटर) एवं रिकलरेशन रिजर्व 3,78,906 टन (1,51,562 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी (सतत्यनम के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,332 घनमीटर है। औपन कास्ट सीमा मेंकेनाईजल खनन की गोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,492 घनमीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्थानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर तृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं छोड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रासर तथापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल एक्सारिंग किया जाता है। खदान में गायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिकाव किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है:-

रुप्त	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
प्रधान	60,000
छितीय	49,170
तृतीय	56,025
चतुर्थ	48,990
पंचम	50,560

13. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.58 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घाम धन्तायत से ईंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बायारी घाम धन्तायत का अनापलित प्रगाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. तृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में भारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 790 मग तृक्षारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की ओरींगी सीमा पट्टी में उत्तराभन्न — प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया था कि लीज बोर्ड के छारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3.332 हेक्टेएक्टर होता है, जिसमें से 616 हेक्टेएक्टर बोर्ड 14 मीटर की गहराई तक उत्तराभन्न है, जिसका चलने से अनुमोदित मार्डिनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर ओरींगी सीमा पट्टी में उत्तराभन्न किया जाना चर्यावरणीय स्थीकृति की रूपी का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन बंचालय नई दिल्ली द्वारा नीन कोल मार्डिनिंग प्रोजेक्टसे हेतु नानक पर्यावरणीय शर्त जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त नानक शर्त के अनुसार नाईन लीज बोर्ड के अंदर 7.5 मीटर ओरींगी सेप्टी जोग में दृष्टारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया था कि बलस्टर ने आने वाली समस्त खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 मार्च से 31 मई, 2022 के मध्य किया गया है। उक्त एकजित बेसलाईन डाटा को ईआईए रिपोर्ट द्वारा किये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा उत्तराभन्न सर्वसम्मिलित से नियमानुसार निर्णय लिया गया था—

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बंचालय दो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- भूगोलीकृत दस्तावेज (बी-1, बी-2) साहस्रति पत्र को साथ प्रस्तुत किया जाए।
- जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- प्रतिबंधित 7.5 मीटर ओरींगी सीमा पट्टी में अंदर उत्तराभन्न किया जाना चाहे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण की कानिका पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण मंडल, नवा द्वायपुर अटल नगर की नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(३) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न नियमि याइ गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. नगरी संबंधी दस्तावेज (बी-१, बी-२) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि श्री बालाजी स्टोन फूडस्ट्रीज के नाम पर है।
3. जल की आपूर्ति हेतु शाम पश्चायत लौहारी का दिनांक 15/06/2022 का अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खानिय शहर), जिला-इलीदाबाजार-भाटापारा को छापन क्रमांक ८७/स.लि./2022 बलीदाबाजार दिनांक 05/06/2022 के अनुसार आवैदित खदान से 500 मीटर के बीतर अपरिवर्तत ३ खदान, कुलकल 4.367 हेक्टेयर है। जावैदित खदान (शाम-खैरयारी) का रकमा 1.788 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवैदित खदान (शाम-खैरयारी) की मिलाकर कुल रकमा 6.155 हेक्टेयर है। खदान की शीर्ष से 500 मीटर की परिसीम में स्थीरकूल/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल ५ हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी१' श्रेणी की जानी गयी।
2. माझन लीज क्षेत्र के खासों और ७.५ मीटर छोड़े सेपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन के बाबत इस क्षेत्र के उपयारी उपायों (Remedial Measures) के सांघर्ष में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईक्रो फिल्याकलायों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. प्रतिबंधित ७.५ मीटर बीठी शीर्ष पट्टी में अपैक्ष उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण की क्षमता पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैफ्फर्स टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर है.आई.ए /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्टस/एकटीडिलीज रिफरायरिंग इन्कापरमेंट क्लीयरेंस अप्हार है.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में पर्यावरण श्रेणी १(ए) का स्टैफ्फर्स टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन तोल माईक्रो प्रोजेक्टस हेतु निम्न अंतिरिप्रता टीओआर के साथ जारी की अनुशासा की गई।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी१' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैफ्फर्स टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर है.आई.ए /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्टस/एकटीडिलीज रिफरायरिंग इन्कापरमेंट क्लीयरेंस अप्हार है.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में पर्यावरण श्रेणी १(ए) का स्टैफ्फर्स टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन तोल माईक्रो प्रोजेक्टस हेतु निम्न अंतिरिप्रता टीओआर के साथ जारी की अनुशासा की गई।

- I. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

- ii. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- vi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- vii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS and submit an affidavit that controlled blasting shall be done by Explosive License Holder & incorporate the permission in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies.
- ix. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).
- x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.
- xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संघन 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशासन को स्वीकार करते हुए सुपरिवेतानुसार टम्ही औंपा रेपारेस

(टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अंतिरिक्षा तारी के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:-

"Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:-

- (1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर धीमे सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये सत्त्वानन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के सम्बन्ध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकरातायों के कारण सत्त्वानन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा दृक्षारोपण आदि के किये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा खनिकर्म, इंद्रांश्वी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर धीमी सीमा पट्टी में आवृद्ध उत्त्वानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावको के विलम्ब नियन्त्रणानुसार आवश्यक दम्पत्तानक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।
(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर धीमे सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये सत्त्वानन के कारण पर्यावरण को दर्शि पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- (2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत होशीय कार्यालय, भासत सरकार, पर्यावरण, पन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मिलाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टमर्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) सार्वतं जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा खनिकर्म, इंद्रांश्वी भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

13. मेसर्स खादा डिव्हिस अर्थवते कारों एवं फिल्स डिमनी डिव्हिस प्लांट (प्रो.- श्री राम कृष्णल खादा), घाम-खादा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (संविवालय का नम्बरी छमांक 1939)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 257569 / 2022, दिनांक 20 / 02 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संबलित भिट्टी उत्त्वानन (भीण खनिज) खदान एवं फिल्स डिमनी ईंट उत्पादन इवाई है। खदान घाम-खादा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खदान नम्बर 1214 एवं 1220, कुल क्षेत्रफल-1.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्त्वानन क्षमता - 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि सुपरिचित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24 / 05 / 2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य वास्तवों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना समव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तम सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में याही गई वाइट जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / परस्तावक राहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 21 / 07 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26 / 07 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि सुपरिचित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26 / 07 / 2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आयोजित खादान से 600 ग्रीटर के भीतर अपरिचित खादानी का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार किया गया उपरांत सर्वसम्मति से आयोजित प्राकरण को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने तथा विचित्र आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्राकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2022 को संपन्न 126वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभर्तु उपरांत सर्वसम्मति से सञ्चय रक्षणीय विशेषज्ञ नूत्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्राप्त प्रस्ताव की विधावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार पर्यावरण एवं और जलवायु परिवर्तन बोर्ड द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय—समय पर जारी नाईडलाईन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए।

14. बैरारी खोड़री विकास अधिकारी गाईन एण्ड फिक्स विमनी विकास प्लांट (प्रो.— श्री अरुण कुमार साह), शाम-खोड़री, तहसील-दिकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1875)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / श्रीजी / एमआईए / 245792 / 2021, दिनांक 16 / 12 / 2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित निट्रो उत्खनन (ग्रीष्म ऋति) खदान एवं विक्स विमनी इंट उत्खान इकाई है। खदान शाम-खोड़री, तहसील-दिकुण्ठपुर,

जिला—कोरिया रिथित खासरा क्रमांक 159/2 एवं 159/3, कुल शेअफल—1.2 हेक्टेयर में है। खदान की आवैदिता उत्तमता क्रमता — 8,17,304 नग प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन एवं ई—मेल दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 19/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाहीं गई पाइल जानकारी एवं सामर्त्य सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के जामा बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाहीं गई पाइल जानकारी एवं सामर्त्य सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अकाग बुमार साहू, ड्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लियति पाई गई—

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में मिट्टी खदान खासरा क्रमांक 159/2 एवं 159/3, कुल शेअफल — 1.2 हेक्टेयर, क्रमता — 1,500 एनग्रीटर (10 लाख नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधार निर्धारण प्राधिकरण, जिला—कोरिया द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन ने की गई कार्यवाही की जानकारी / प्रतिवेदन फॉटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्वाचित जातानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /1292/खणिज/उप./2021/कोरिया ईकुण्ठपुर, दिनांक 06/09/2021 द्वारा दिगत वर्ष में किये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (नग)
2016	निरन्तर
2017	40,000
2018	6,55,000
2019	5,20,000
2020	2,67,500

- v. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /284/खणिज/उप./2022/कोरिया ईकुण्ठपुर, दिनांक 06/07/2022 द्वारा दिगत वर्ष में किये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (नग)
2021	2,10,000

2. प्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तरानन के संबंध में प्राम पंचायत उद्धरणाता का दिनांक 15/10/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरानन योजना — क्षेत्री प्लान, इन्हायरोमैट ऐनेजमेंट प्लान एवं क्षेत्री कलोजन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सुनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 953/खणिज/खणि.2/2016 कोरिया, दिनांक 11/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिक्त खदान — कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1293/खणिज/उप./2021/कोरिया ईकुण्ठपुर, दिनांक 06/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित क्षेत्र खदानों की संख्या निम्नका है।
5. 200 मीटर की परिधि में रिक्त सार्वजनिक होन्स/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1294/खणिज/उप./2021/कोरिया ईकुण्ठपुर, दिनांक 06/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होन्स जैसे रेल लाईन, नहर, खड़क, स्कूल, मंदिर, गाँविय, मरघट, अरण्याल, बांध, एनीकट आदि प्रतिक्षिप्त होन्स निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं लीज का विवरण — भूमि एवं लीज की अकाउंट कुमार चाहू के नाम पर है। लीज कोड 6 वर्षी अवधि दिनांक 25/01/2011 से 24/01/2016 तक की अवधि हेतु पैम थी। तत्पश्चात लीज कोड में 25 वर्षी थी, दिनांक 25/01/2016 से 24/01/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. घन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय घनवाण्डलालिकारी, कोरिया घनवाण्डल, ईकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मापि./2265 ईकुण्ठपुर, दिनांक 25/10/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित होन्स निवासितम घन होन्स की सीमा से 7 किमी की दूरी पर है।

9. भाहत्यपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-भाड़ी 700 मीटर रखूल ग्राम-भाड़ी 780 मीटर एवं असपाताल ईकुचपुर 3.5 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 100 मीटर एवं राजमार्ग 83 किमी दूर है। गेज नदी 2.4 किमी एवं तालाब 1.2 किमी दूर है।

10. पारिस्थिरिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की पश्चिमी ने अंतर्राज्यीय शीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्यायालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण कोई द्वारा घोषित किटिकती पॉल्यूट्रेट एरिया, पारिस्थिरिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।

11. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 21,935 घनमीटर, माईनिंगल रिजर्व 10,828 घनमीटर एवं रिक्वरेबल रिजर्व 14,965 घनमीटर है। उत्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 18,249 घनमीटर एवं रिक्वरेबल रिजर्व 11,648 घनमीटर सेष है। लीज की 1 मीटर और सीमा पट्टी (उत्तमान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 450.86 वर्गमीटर है। औपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्तमान किया जाता है। उत्तमान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.4 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भरता रखा गया है, जिसकी किमत विमानी वी ऊंचाई 33 मीटर है। ईट निर्माण हेतु निट्रो के साथ 25 प्रतिशत फलाई ऐसा का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिल्काय किया जाता है। अनुमोदित क्षारी प्लान अनुसार उत्तमान प्रस्तावित उत्तमान का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्तमान (घनमीटर)	उत्पादन (वर्ष)
छठम	1,442.53	7,74,741
द्वितीय	1,521.27	8,17,029
तृतीय	1,512.84	8,12,500
चतुर्थ	1,515.47	8,13,916
पंचम	1,459.96	7,83,884

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्तमान (घनमीटर)	उत्पादन (वर्ष)
षष्ठम	1,504.70	8,08,127
सप्तम	1,517.43	8,14,967
अष्टम	1,521.78	8,17,304
नवम	1,511.20	8,11,620
दशम	1,454.60	7,81,224

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.85 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैकर एवं बोरवेल के माध्यम से हो जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापूर्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड गेटर अधीनिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. मृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में घारों और 1 मीटर की पट्टी में कुल 275 नग मृक्षारोपण किया जाएगा। उत्तमान में 225 नग मृक्षारोपण किया गया है। ग्रीष 50 नग मृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के

लिए राशि 500 रुपये, फैसिंग (पूर्व ने किया जा चुका है) के लिए राशि 50,000 रुपये तथा खाद के लिए राशि 27,500 रुपये, सिंचाई को लिए राशि 25,000 रुपये एवं रख-रखाव के लिए राशि 25,000 रुपये इस प्रकार कुल राशि 78,000 रुपये प्रधाम रूप हेतु एवं रख-रखाव आदि के लिए कुल राशि 3,10,000 रुपये आगामी घार बच्ची हेतु घटकावार अवधि का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- प्रस्तुतीकरण को दीर्घन परिधीजना प्रस्तावक हासा बताया गया कि एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टम कौशल से लगभग 35 प्रतिशत ऐश अमित होगा, जिसमें उपयोग ईट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks) / छोड़ना ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच कार्ग के रख-रखाव हेतु किया जाएगा।
 - कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परिधीजना प्रस्तावक हासा समिति के समक्ष दिस्तार से घबी उपरांत निष्पानुसार विरहुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26	2%	0.52	<p>Following activities at Nearby Govt. Primary School, Village- Lakhna</p> <p>Drinking water arrangement with filter & its AMC</p> <p>Water tank (1,000 litre)</p> <p>Supply Pipe</p> <p>Pipeline & Installation</p> <p>UV Water Filter (8 litre)</p> <p>5 Year AMC</p> <p>Running water arrangement in toilet</p> <p>Water tank</p> <p>Pipeline & Installation</p>	0.36 0.18 0.54

16. सीईआर के तहत प्रस्तावित रूपूल को प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. माननीय एम.जी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सलॉट पार्किंग प्रोजेक्ट भारत सरकार, पर्यावरण, दम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्धा (प्रोरिजनल एडिक्षन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश ने मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

 - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के द्वापन क्रमांक 1293 / खनिज / उ.प. / 2021, कोरिया बैंकुण्ठपुर, दिनांक 06/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है। आवेदित खदान (याम-खोड़री) का रक्का 1.2 हेक्टेयर है। खदान की ऊंचाई से 600 मीटर की विस्तृति में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे ज्यादा होने के कारण यह खदान बी-२ श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स खोड़री विक अर्थकले व्यापारी नाईन एप्ट फिरस विमनी विक प्लाट (प्रो.- श्री अकल बुमार साहु) को याम-खोड़री, लहसील-बैंकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के उपरांत क्रमांक 159/2 एवं 159/3 में स्थित इंट उत्पादन इकाई (गोल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.2 हेक्टेयर, जमता – 8,17,304 नग (1,521 घनमीटर) प्रतिक्वार्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत विचार जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत विचार जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, घन और जलवायी परियोजना मंत्रालय वा अधिसूचना काओआ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन वा प्रकरण लघित नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संघन 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- मेसर्स खोड़री विक अर्थकले व्यापारी नाईन एप्ट फिरस विमनी विक प्लाट (प्रो.- श्री अकल बुमार साहु) को याम-खोड़री, लहसील-बैंकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के उपरांत क्रमांक 159/2 एवं 159/3 में स्थित इंट उत्पादन इकाई (गोल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.2 हेक्टेयर, जमता – 8,17,304 नग (1,521 घनमीटर) प्रतिक्वार्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। शाखा ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं होने किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं राष्ट्रात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं होने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति पत्र जारी किया जाए।

३. परियोजना प्रस्तावक के विलक्षण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाय एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना बाबा 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने वाला शायद पत्र (Notarized undertaking) चाहा किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक यो राष्ट्रानुसार रखिए दिया जाए।

15. मेसारी टी.आर. डिक्स (प्रो.— श्री टैमलाल राजकाठे, कुंजनगर डिक्स अर्थवते व्यापारी नाईन एच्च फिक्स चिमनी डिक प्लाट) पाम—कुंजनगर, ताहसील चिंला—सूरजपुर (संविचालन का नक्सी क्रमांक 1910)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/
248894 / 2021, दिनांक 12/01/2022 द्वास पर्यायरक्षीय स्थीरता हेतु ऑनलाईन
आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित निटटी जलखन (गोप खण्ड) खदान एवं फिल्स दिमांगी हॉट स्प्रिंग इकाई है। खदान ग्राम-कुलनगर, राहसील यजिला-सूरजबुर रिवेत खारता अमांक 653, 582, 584, 585, 586, एवं 650, कुल क्षेत्रफल~2.25 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित जलखन कमता—882.76 घनमीटर (हॉट स्प्रिंग इकाई 6,31,579 नग) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी_छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 22/04/2022
द्वारा प्रस्तुतीकारण हेतु सुनिश्चित किया गया।

प्रैटको का विवरण -

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28 / 04 / 2022।

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के प्रति दिनांक 28/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना समव नहीं है। अतः आगामी आयोगित बैठक में सम्पूर्ण प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

नामिति द्वारा तत्त्वाभ्यु पार्वत्यमति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को चूंच ने घासी गई बाहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / इनप्रोजेक्ट बाहित प्रशासनीकरण द्विये द्वारा ऐसे निर्दिष्ट विषय द्वाए।

तदानुसार परियोजना प्रवर्तक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के द्वाधन दिनांक 03/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु संधित किया गया।

(v) समिति ने 411वीं मैत्रक दिनांक 17/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिविधि उपरिक्षित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपरिक्षित होना समव्य नहीं है। अतः अगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सत्त्वामय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक जो घूमी गें चाही गई बाइंस जानकारी एवं समस्त सुझाव जानकारी / दस्तावेज सहित प्रशासीवास्तव दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रवर्तनक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी टेललाल राजवाड़े, प्रौद्योगिक उपस्थिति हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत ज्ञानकारी का ज्ञानलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. याम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में याम सभा कुंजनगर का दिनांक 19/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्षारी प्लान, इन्वायरोनेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्षारी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1322/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 17/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 600 गीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 4309/खनिज/2021 सूरजपुर दिनांक 29/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकता खदान से 600 गीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे धार्यक स्थल, बांदर, गरिजद, गुलदारा, सरघट, यार्शिनिक स्थल भाग, रक्षल, अस्पताल, पुल, रेल लाईन, नहर, बंध, एनोकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्षिप्त होत्र नहीं है।
5. 200 गीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होत्र/संरचनाए — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 4309/खनिज/2021 सूरजपुर दिनांक 29/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकता खदान से 200 गीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे धार्यक स्थल, बांदर, गरिजद, गुलदारा, सरघट, यार्शिनिक स्थल भाग, रक्षल, अस्पताल, पुल, रेल लाईन, नहर, बंध, एनोकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्षिप्त होत्र नहीं है।
6. एलओआई संबंधी विवरण — एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1202/खनिज/ई—नियो—कुंजनगर/2018 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। एलओआई की वैधता तुम्हि बाबत न्यायालय संचालक चौमिकी तथा खनिकनी, नवा सायपुर झटक नगर के पुनरीकाण प्रकरण क्रमांक 29/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/03/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार “उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीकाण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनि शास्त्र), सूरजपुर के पत्र दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी आवाय पत्र में शिद्दित शर्तों का पालन पुनरीकाणकर्ता भेजा गया है। एलओआई बिका, प्रौ. श्री टेललाल राजवाड़े, निवासी कुंजनगर, तहसील य जिला सूरजपुर द्वारा कर लिये जाने की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शास्त्र विभाग द्वारा जारी अधिकारियन क्रमांक एफ 6-42/2012/12 दिनांक 26/06/2020 के परियोग्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2016 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अधिकारियन कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुये।

इस प्रकरण कलेक्टर, जिला सूरजपुर को प्रत्यापत्ति किया जाता है।
होना चाहिए गया है।

7. भू-क्षेत्रमित्य - भूमि खासा क्रमांक 653 भी नुवनेश्वर, भी दुश्मेश्वर, भी कलाशिया, खासा क्रमांक 582, 588 भी हंस कुमार, भी रामलय, भी सीनाथ, भी शोदन राम, खासा क्रमांक 585 भी धनसर, भी हरसु, खासा क्रमांक 584 भी तीन प्रभाद, भी हरकलाल, भी रामलाल, भी पारस, भीमती रामकली एवं खासा क्रमांक 650 भी लिलेश्वर के नाम पर है। उत्तरान हेतु भूमि क्षमियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कायलिय बनगणकलाधिकारी, सूरजपुर बनगणकल, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मात्रि / 1517 सूरजपुर दिनांक 24 / 12 / 2019 से ज्ञारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र की दूरी से 3 किमी. दूर है।
10. महत्वपूर्ण सरकनाओं की दूरी - निकटतम आसादी ग्राम-कुजनगर 150 मीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किमी. एवं अस्पताल विश्वामित्र 1.8 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किमी. एवं राजमार्ग 22 किमी. दूर है। गाला 330 मीटर, लालाब 420 मीटर एवं रेहार नदी 1.35 किमी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/ जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अतर्जन्तीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेश एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - अनुमोदित माइनिंग लाग अनुसार जियोलिजिकल रिपोर्ट 45,000 घनमीटर, माईनेश्वर रिजर्व 37,763 घनमीटर एवं रिकवरेश्वर रिजर्व 33,988 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर भीड़ी सीमा पट्टी (उत्तरान के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,012.64 घनमीटर है। औपन कास्ट मीनुअल विधि से उत्तरान किया जाएगा। उत्तरान की प्रस्तावित अधिकातम गहराई 2 मीटर है। बेष की ऊंचाई 1 मीटर एवं बीड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र की भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भवला स्थापित किया जाएगा। जिसकी फिल्स निर्माण की ऊंचाई 33 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 30 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की समाप्ति अम्बु 36 मर्ग है। एक लाख हेट निर्माण हेतु 12 टन कीयला की आवश्यकता होगी। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल वा छिनकाव किया जाएगा। अनुमोदित माइनिंग प्रवान अनुसार प्रस्तावित वर्षावर प्रस्तावित उत्तरान का विवरण निम्नानुसार है:-

बर्ष	प्रस्तावित मिट्टी उत्तरान (घनमीटर)	ईट उत्पादन (नग)
छठम	882.76	6,31,579
द्वितीय	882.76	6,31,579
तृतीय	882.76	6,31,579
चतुर्थ	882.76	6,31,579
पंचम	882.76	6,31,579

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित मिट्टी उत्पादन (घनमीटर)	इंट उत्पादन (नग)
पहला	882.76	6,31,579
दूसरा	882.76	6,31,579
तीसरा	882.76	6,31,579
चौथा	882.76	6,31,579
पाँचवां	882.76	6,31,579

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की नाता 4.42 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल वाली आपूर्ति स्थान के टैकर द्वारा घाम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस साक्षर घाम पंचायत का अभावपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. बृद्धारोपण कार्य – लोअर होड़ की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की घट्टी में 456 नग बृद्धारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रक्षाल अनुसार पौधों के लिए राशि 4,560 रुपये, पौसिंग के लिए राशि 1,26,560 रुपये, खाद के लिए राशि 60,600 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रुपये, रस्त-रखाए के लिए राशि 25,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,31,740 रुपये प्रदान वर्ष हेतु एवं रस्त-रखाए हेतु कुल राशि 4,02,400 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटककार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्सनलिय रिप्पोर्ट (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक हुआ सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु त्वचल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.78	2%	0.74	Following activities at Nearby Govt. Navin primary school Village-Jhharpura, Kunjnagar	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	
			Supply Pipe	
			Pipeline & Installation	0.59
			UV Water Filter (8 litre)	
			5 Year AMC	
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank	
			Pipeline & Installation	0.15
Total				0.74

16. समिति के संझान में यह तथ्य आया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 की जारी अधिसूचना में ईट भट्टा हेतु जारी दिशा-निर्देश के टिप्पणी क्रमांक 8 को अनुसार “ईट भट्टों को आवासी और फलों के बागों से 0.8 किमी तकी न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितिया आवास, जनसाधारण घनत्व, जल निकाय, संवैदनशील रिसोर्सों हत्याहि एवं निकटता का स्थान इसी दूरी पर स्थापित भाष्टड़ों को सकल बना सकते हैं।” का उल्लेख है।

उक्त दिशा-निर्देश के तहत आवेदित खदान से 0.8 किलोमीटर की दूरी पर ईट भट्टों का निर्माण नहीं किया जाना है।

17. लीज क्षेत्र से निकटतम अवासी साम-कृजनगर 150 मीटर की दूरी में स्थित है। उक्त दिशा-निर्देश के आधार पर आवेदित निटटी उत्पादन (गौण खनिज) खदान एवं यिक्स यिमनी ईट उत्पादन इकाई से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र छोड़ दीजे जाने की स्थिति में निटटी उत्पादन (गौण खनिज) खदान एवं यिक्स यिमनी ईट उत्पादन इकाई में उत्पादन हेतु बहुत कम क्षेत्र अवशेष होना सम्भावित है। अतः प्रकरण में विचार किया जाना समय नहीं है।

18. उपरोक्त के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित निटटी उत्पादन (गौण खनिज) खदान एवं यिक्स यिमनी ईट उत्पादन इकाई हेतु दिनांक 04/08/2018 को एलओआई (आशय पञ्च) जारी की गई थी। यिसके संबंध में क्यारी प्लान दिनांक 17/09/2018 को स्वीकृत की गई। उत्पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु यिक्स स्तरीय पर्यावरण समाप्ति नियरिण प्राधिकरण, में दिनांक 04/10/2018 को आवेदन किया गया था, परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिकारी नियम दिनांक 12/12/2018 द्वारा “Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for public consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA” का उल्लेख है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इसी बीच आवेदित खदान की एलओआई (आशय पञ्च) की वैधता समाप्त हो गई तथा उत्पश्चात् एलओआई (आशय पञ्च) की वैधता वृद्धि दिनांक 02/08/2019 तक की गई और पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाप्ति नियरिण प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़ में आवेदन किया गया। एलओआई (आशय पञ्च) की वैधता दिनांक 02/08/2019 में समाप्त होने के कारण दिनांक 11/09/2019 को प्रत्यक्ष प्रकरण को डि-रिस्ट/निरस्त कर दिया गया। पुनः एलओआई वी वैधता वृद्धि न्यायालय शंचालक भीमिकी तथा स्वामिकर्म, यक्षा राष्ट्रपुर अटल नगर के पुनरीकरण प्रकरण क्रमांक 29/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/03/2021 द्वारा यन्त्राकार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाप्ति नियरिण प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़ ने दिनांक 12/01/2022 को आवेदन किया गया। उत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को ईट भट्टा हेतु जारी अधिसूचना के क्रमांक 8 को अनुसार “ईट भट्टों को आवासी और फलों के बागों से 0.8 किमी तकी न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि उनका प्रकरण पूर्ण से ही पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण को न्याय

सारकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना के पूर्व का प्रकरण मानकर पर्यावरणीय कीमिटि जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विभार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मानदण्ड लिये जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अपलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभार सर्वसम्मति से राज्य सतरीय विशेषज्ञ नृत्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुहोसा ये स्थीकार करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मानदण्ड लिये जाने हेतु पत्र लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को तादानुसार पत्र लेख किया जाए।

16. मेसनी बसल रटोन (प्रौ.— श्रीमती पूष्पा अग्रवाल, मुरा लाइंग रटोन माईन), घाम—मुरा, तहसील—तिल्दा, जिला—रायपुर (संविवालय का नस्ती क्रमांक 1800)

ऑनलाइन आवेदन — प्राप्तीजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 67321 / 2021, दिनांक 06/09/2021 द्वारा टी.डी.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौच रानिज) खादान है। खादान घाम—मुरा, तहसील—तिल्दा, जिला—रायपुर नियंत्रण खासरा क्रमांक 397/2, 397/4, 397/17, 639/2, 639/7, 639/11, 639/13, 395/2 एवं 396/2, कुल दोपकल—1.67 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खादान की आवेदित उत्तरानन क्षमता — 46,496.1 टन प्रतिवर्ष है।

तादानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी—छत्तीसगढ़ के लापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी अतिनिष्ठि शुपरिषित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/01/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के सभ्यका बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपरिषित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा तंत्रज्ञान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तादानुसार एसईएसी—छत्तीसगढ़ के लापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/अनुरोध पत्र दिनांक 23/03/2022 एवं 06/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17 / 06 / 2022-

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी /अनुरोध पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर तत्त्वाग्रह तार्त्त्वाम्भिति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावका जो पूर्व में थाही गई बाहित जानकारी एवं समस्त सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज बाहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावका जो एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25 / 07 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26 / 07 / 2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अजय अद्यात, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
2. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उल्लेखन के संबंध में याम पंचायत नुस्खा का दिनांक 08 / 10 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उल्लेखन योजना — योजना प्लान, इन्हायलोगेट गेनेजेट प्लान एण्ड डार्शी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा स्थानिकम्, नवा रायपुर अटल नगर के पू. ज्ञापन नम्बर 4409/खानि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.04/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 18 / 08 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिक्त स्थदान — कार्यालय कालेजटर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन नम्बर 688/ख.लि./टीन-६/2021 रायपुर, दिनांक 04 / 09 / 2021 के अनुसार आवेदित स्थदान से 500 मीटर के भीतर अस्थित 47 स्थदानों कोरिल 729187 हैबटेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में रिक्त सार्वजनिक होत्र/सांस्कनाए — कार्यालय कालेजटर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर को ज्ञापन नम्बर 688/ख.लि./टीन-६/2021 रायपुर, दिनांक 04 / 09 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार छक्त स्थदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे मंदिर, गविष्ट, गवघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिष्ठित होत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — भूमि आवेदक के नाम पर ही, जिलमें एल.ओ.आई. कार्यालय कालेजटर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन नम्बर 1101/ख.लि./टीन-६/उ.प. / 2020 रायपुर, दिनांक 26 / 10 / 2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा स्थानिकम्, नवा रायपुर अटल नगर के पू. ज्ञापन नम्बर 5627/खानि 02/उ.प.—अनुमित्या, /म. नं.50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 26 / 10 / 2021 द्वारा जारी की गई है, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 24 / 10 / 2022) तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बनमपड़लालिकारी, रायपुर बनगंडल, जिला—रायपुर के ज्ञापन नम्बर/वत.अ/रा. रायपुर, दिनांक

06/05/2022 द्वारा आवृद्धि लोन निकटतम बन लोन की रीमा से 250 मीटर की आकाशीय दूरी से अधिक का उल्लेख है, परंतु अनापस्त प्रगति पर उत्तम नहीं प्रियोग गया है।

- महत्वपूर्ण सर्ववनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—मुरा 650 मीटर, स्कूल ग्राम—मुरा 850 मीटर एवं अस्पताल सारांगद 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 245 कि.मी. दूर है। चालन नदी 22.6 कि.मी. एवं तालाब 210 मीटर दूर है।
 - पारिस्थितिकीय / पौधविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसीमा में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय रुद्धान, अन्यायरण्य, कान्फ्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित शिटिकली पील्हुठेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित पौधविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
 - खनन संपदा एवं खनन का किवरण – डिलोलीजिल रिजर्व लगभग 7,93,260 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 3,28,232 टन एवं डिक्ष्युरेबल रिजर्व 3,21,667 टन है। लीज की 7.5 मीटर औड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,187 घनमीटर है। औपन कारस्ट सेमी मेक्सिनटाइज्ड शिपिं से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी पिट्टी की गोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,878.6 घनमीटर है। ओक्टर बर्डन की गोटाई 0.75 मीटर है तथा मात्रा 8,365.5 घनमीटर है। बैच की कंधाई 3 मीटर एवं छोड़ाई 3 मीटर है। खदान ली स्थापित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में जात्र रक्षायित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैगर से हिलिंग एवं कांट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिम्बकाल किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित सत्यानन (टर)	वर्ष	प्रस्तावित सत्यानन (टर)
प्रथम	41,282	एकम	44,431
द्वितीय	43,434	सप्तम	42,321
तृतीय	45,438	आठम	5,145
चौथम	44,467	नवम	4,410
पंथम	46,496	दशम	4,243

नोट: त्रिलिङ्ग में दशमलव के पाइ के अंडों को राहगढ़-अफ़ किया गया है।

- जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.09 मीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोर्डेल के साथमन से ही जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल पाराणड बोर्ड अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
 - बृक्षारोपण कार्य – हीज झोज की सीमा में यारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,035 नग बृक्षारोपण किया जाएगा।
 - खदान की 7.8 मीटर की बीड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – हीज झोज के यारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
 - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि खदान के लिए ऐसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 10 / 12 / 2021 से प्रारंभ किया गया। एकत के संबंध में दिनांक 08 / 12 / 2021 को सूचना दी गई थी।

16. यान्मनीय एम जी ली., डिसिपल वेद, नई दिल्ली हारा भर्तवैद पार्किंग विश्वद भारत तकातर, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ओप 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में नुस्खा रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति हारा विचार विभाग उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज कार्यालय), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/खलि/लीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 04/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 600 फीटर के भीतर अवस्थित 47 खदाने, क्षेत्रफल 72.9167 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (धान-मुर्चा) का रकबा 1.87 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (धान-मुर्चा) को निलायन कुल रकबा 74.5887 हेक्टेयर है। खदान की लीमा से 600 फीटर की परिधि में स्थीरता/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के काल्य यह खदान 'सी1' श्रेणी की मानी गयी।
- समिति हारा विचार विभाग उपरात सर्वसम्मति से प्रकारण 'सी1' कोटेश्वरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैणडर्ड टर्म्स ऑफ रिपोर्टरी (टीओआर) पाँवर ई.आई.ए./ई.ए.पी. रिपोर्ट पाँवर प्रोजेक्टस/एकटीपिटीज रिक्वायरिंग इन्वेपरमेंट क्लीयरेंस अप्लाई ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में लिखित ढेणी 1(ए) वा स्टैणडर्ड टीओआर (सोक रुनवाई राहिल) नीन कोल गार्डिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न असिरिवत टीओआर के राय यारी किये जाने की अनुमति दी गई—
 - Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - Project proponent shall submit the top soil & overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.
 - Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - Project proponent shall submit NOC certificate from forest department.
 - Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies.

- vii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.
- ix. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnams and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रापत्येकन पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 12ही बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवती का प्रयोग करने किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभर्त्ता समर्पित सर्वसम्मति से समिति की अनुसंधान को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टमर्स ऑफ ऐफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई संहिट) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया।—

"Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system."

परियोजना प्रस्तावक को टमर्स ऑफ ऐफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई संहिट) समर्पित जारी किया जाए।

17. निसदा लाईम स्टोन (फलोनी लाईम स्टोन) क्षारी, (प्रौ.— श्री लालबद अग्रवाल), शाम—निसदा, तहसील—आरंग, ज़िला—रायपुर (संचिवालय का नम्रता क्रमांक 1857)

ऑनलाइन आवेदन — प्रोप्रीटर नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69981 / 2021, दिनांक 10 / 12 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित खुना पत्थर (गौच खनिज) छादान है। छादान शाम—निसदा, तहसील—आरंग, ज़िला—रायपुर स्थित पाई औफ खस्ता क्रमांक 1340, कुल क्षेत्रफल—0.364 हेक्टेयर में है। छादान की आवेदित उत्त्पादन क्षमता—2,715 टन (1,086 प्रमाणीटर) प्रतिवर्ष है।

नादानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आधन दिनांक 25 / 03 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30 / 03 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30 / 03 / 2022 हारा गृहना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के सभी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति हारा सत्समय सर्वसम्मिलि से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में भारी गई वाहिना जानकारी एवं समस्त सुझाव जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22 / 07 / 2022 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26 / 07 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अविना अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति हारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का आलोकन एवं परीक्षण करने पर मिम्न रिपोर्ट पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति संबंधी विवरण—

1. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /का /खसि./ तीन—६ /2021 / ६३५ रायपुर दिनांक 27 / 08 / 2021 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार “उक्त स्थीरकृत घूनाघल्यत उत्खनिपट्टा खदान में वर्ष 2009 से आज पर्यन्त तक कोई उत्पादन/ विक्री का कार्य नहीं किया गया है” का चलाक है।
3. उत्खनन योजना — क्षारी प्लान एलॉग लिंग क्षारी ब्लौजर प्लान लिंग इन्हारोमेट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघालक (खनि. प्रशा.), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /खसि./ प्र.प. / २०१ / ३३१८ रायपुर दिनांक 10 / 02 / 2017 हारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक ६३५ /खसि./ तीन—६ /2021 रायपुर, दिनांक 27 / 08 / 2021 के अनुसार अवैदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.96 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/ सांरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक ६३५ /खसि./ तीन—६ /2021 रायपुर, दिनांक 27 / 08 / 2021 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यीसे नहीं, मस्जिद, मरम्पट, बाड़ एवं एनीकट आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र निर्मित हैं। महानदी 200 मीटर दूर है।
6. गूमि एवं लीज का विवरण — यह शासकीय गूमि है। लीज श्री लालचंद अग्रवाल के नाम पर है। लीज ईड 5 गांव झर्थात दिनांक 17 / 02 / 2002 से

16/02/2014 तक की अवधि हेतु कैप थी। कार्यालय कलेक्टर (खानिया-शाखा), जिला-ताप्यपुर के छापन कमांड/क./ख.लि./लीन-6/2021/634 शायपुर, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी प्रभाग पत्र अनुसार “ग्राम नियंत्रण नं. 57, रानिम. य लहसील आरंग, जिला-ताप्यपुर (ज.ग.) के सुसरा नं. 1340 के भाग रक्षा 0.90 एकड़ क्षेत्र पर भी लालचंद अधिकाल को अवधि दिनांक 17/02/2009 से 16/02/2039 तक चूनापत्तर उत्थनियटा नीकृत है।” का उल्लेख है। लीज की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत यही गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रभाग पत्र – लीज क्षेत्र से निकटतम बन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये बन विभाग का अधिकार अनापत्ति प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आयादी घास-नियंत्रण 1 कि.मी. एवं स्कूल घास-नियंत्रण 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। महानदी 200 मीटर एवं महानदी नदी 260 मीटर दूर है।
10. पारिसिध्दतीकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयाशम्भ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधित किटिकली पील्युटेड एरिया, पारिसिध्दतीकीय संवेदनशील क्षेत्र या संबंधित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतीत्येदित किया है।
11. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 57,836 टन, ग्राहनेश्वर रिजर्व 19,665 टन एवं रिक्कहरेश्वर रिजर्व 14,748 टन है। लीज की 7.5 मीटर ऊंची रीमा पट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिक्रिया क्षेत्र) का क्षेत्रकल 930 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्थनन किया जाएगा। उत्थनन की प्रस्तावित अधिकाराम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। येत्र की ऊपराई 1.5 मीटर एवं नीचाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कशार स्थापित नहीं किया जाएगा। औक हिमर से ड्रिलिंग एवं स्लारिटंग नहीं किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिन्हकार किया जाएगा। पर्यावर प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है—

क्षेत्र	प्रस्तावित उत्थनन (टन)
प्रथम	2,325
द्वितीय	2,400
तृतीय	2,512
चतुर्थ	2,625
पंचम	2,715

नोट: तालिका में दरामलव के बाद के अक्षों को रातरण्डीक किया गया है।

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतीदिन होती है। जल की अपूर्ति घास पंचायत से टैकरों के माल्यम से किया जाएगा। इस बाबत घास पंचायत का अनापत्ति प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. यूकारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में छारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 320 नग यूकारोपण किया जाएगा। प्रत्युत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 16,000 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंधाई के लिए राशि 19,200 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 87,700 रुपये प्रथम दर्पे हेतु एवं रख—रखाव हेतु कुल राशि 96,700 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु प्रटकारार बना बन विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन – प्रस्तुतीकरण के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के छारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 938 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें बुज़ भाग उपरी मिट्टी (3 मीटर) वर्ष 2009 के पूर्व से उत्थानित है। प्रतिवर्षीय 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन किया जाना पर्यावरणीय स्थीरता की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विकल्प निम्नानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्टसे हेतु मानक पर्यावरणीय शर्त जारी की गई है। जारी क्रमांक VIII (i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एकत्र मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जौन में यूकारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रियोपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विकल्प भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (आरिजनल एजिनोरेशन नं. 186 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विषार विशेष उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-रायपुर को ज्ञापन क्रमांक 635 / ख.लि. / तीन-६ / 2021 द्वायपुर, दिनांक 27 / 08 / 2021 को अनुसार आयोदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानों कोक्कल 11.96 हेक्टेयर है। आयोदित खदान (याम—निसादा) का रक्का 0.364 हेक्टेयर है। इस प्रकार आयोदित खदान (याम—निसादा) को गिलाकल कुल रक्का 12.324 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरता / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल ५ हेक्टेयर

से अधिक का जलस्तर नियमित होने के कारण यह स्थान 'बी१' बेंगी की मारी जायी।

2. नाईन लीज होट के बारी और 7.5 मीटर छोड़े सेफटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संकेत में तथा लीज होट के अंदर माईनिंग क्रियाकलापी के कारण उत्तरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी यथा वृक्षारोपण आदि के लिये सम्बुद्धि उपायों वाले संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा स्थनिकर्म, इंद्रावाली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. प्रतिवर्षित 7.5 मीटर छोड़ी सीधा पट्टी में अवैध उत्तरान किया जाना पारे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डालयक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा स्थनिकर्म एवं पर्यावरण को शति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखायन बंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. शाखित द्वारा विभार विभावी उपरात सर्वेसम्मति से प्रकरण 'बी१' के टेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन संचालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैफर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर इ.आई.ए./इ.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरनेट बलीओआर अपहर इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित बेंगी 1(ए) का स्टैफर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेंन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट/ हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit extended lease deed copy approved by mining department.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.
 - vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies.
 - viii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
 - ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.
 - x. EIA study shall be done at minimum 6 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xi. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

- xii. Project Proponent shall submit the lease deed extension copy.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiv. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvi. Project proponent shall submit the restoration plan and shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.
- xviii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xix. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा ऐलक में विचार – उपरोक्त प्रापत्रण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं ऐलक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अपलोड किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग सचिवालय सर्वसम्मति से समिति वी अनुशासा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्ही ओफ ऐफरेन्स (टी.ओ.एफ.) (लोक सुनवाई संक्षिप्त) विभाग अधिकारिक शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया।

- i. Project proponent shall submit the copy of extension of validity of mining lease and renewal of lease deed executed with Government of Chhattisgarh, Mineral Resource Department / District Collector duly registered.
- ii. Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:-

1. माईन लीज लैन के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जीव के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस लैन के उपचारी उपायी (Remedial Measures) की संबंध में तथा लैन लैन के ऊंदर माईनिंग कियाकलापी के कारण संत्यन्न प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपायी यथा पृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायी

सांचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, हुंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

2. प्रतिबिधित 7.5 मीटर ऊँची सीधा पट्टी मे अधैर प्रत्यक्षनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज़ कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर ऊँचे सेपटी जोन के कुछ भाग मे किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को कठि पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान नडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स ऑफ ऐफेन्स (टी.ओ.एफ.) (सेक्युरिटी एंड सेटिट) सार्वती जारी किया जाए। इसी ही संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, हुंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

एजेंट्स आवेदन क्रमांक-३

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वाइटिंग जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त प्रकरण मे अवलोकन विवादात् विवार कर पर्यावरणीय स्थीर्कृति / टीआईआर / अन्य आवश्यक निर्णय किया जाना।

1. गेसर्स घौठाहारी सेप्ट स्टोन क्षारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसापाल), ग्राम–घौठाहारी, तहसील–करतला, जिला–कोरका (सामिकालय का नम्रती क्रमांक 1562)

आवेदन – पूर्व मे प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 198140/2021, दिनांक 13/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्थीर्कृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान मे जारी पर्यावरणीय स्थीर्कृति के परिषेद्य मे श्री राज किशोर बन्दाकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

एस.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा गेसर्स घौठाहारी सेप्ट स्टोन क्षारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसापाल) की ग्राम–घौठाहारी, तहसील–करतला, जिला–कोरका के खसरा क्रमांक 425 मे लिखित सेप्ट स्टोन (गोप खनिज) खदान, कुल लोककल–२ हेक्टेयर, कामता – 33.037 टन प्रतिबर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीर्कृति जारी किया गया है।

श्री राज किशोर बन्दाकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 को मल्यम से जारी पर्यावरणीय स्थीर्कृति को विरस्त एवं उत्पादन शब्दों द्वारा बढ़ाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का वैधानिक गतिशील वार्ता पत्र प्रेषित किया गया है, जिसने उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है–

- अवादी, वैधानिक संवधान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबिधित दूरी कम है।
- खदान क्षेत्र से 10 किमी परियोजना क्षेत्र अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन की सीमा है।
- खदान मे 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्थीर्कृत किया गया है। वर्तमान मे प्रस्तुत गाईनिंग प्लान मे 4 मीटर गहराई पर उत्खनन किया

जाना उल्लेखित है। जो कि विश्वने भीटर गहराई तक उत्तमतम किया जाएगा रपट नहीं है।

- पटटेदार द्वारा ओहर बर्डन को छम्प ती ऊपर्व साथ से 1.5 भीटर तथा लोप 45° से अधिक ओहर बर्डन छम्प किया जाकर नियम विलङ्घ गिट्टी/मुस्त तो को छम्प किया जा रहा है। साथ ही पूर्णांपण नहीं किया गया है।
- यही जल से सतही जल ऋत प्रभावित न हो, को शोकने के लिए रिटर्निंग कील तथा गारलेण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है।
- लीज क्षेत्र के घारी तरफ 1.5 भीटर का सेपटी जीन नहीं बनाया गया है तथा 4 भीटर की भीटर बैस्ट छम्प किया जा रहा है।
- वर्ष 2016 में कमता 60,000 चम्पभीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य सतरीय पर्यावरण समाधान नियोगिता प्राधिकरण द्वारा कमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया है। पुनः पटटेदार द्वारा कमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इसी वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो कि नियम विलङ्घ है।
- पटटेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बाह-बाह पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा रही है, जो कि नियम विलङ्घ है। अतः जीव रक्षाई जाए एवं पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संघन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्शी उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त शिकायत की जीव करने हेतु वी. दीपक शिन्हा, बादस्य, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्रावार, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा होशीय अधिकारी, होशीय कायालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन बड़ल, कोरका को नियमित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति उपल का निरीक्षण बनाएगी तथा अदान नियमित से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जीव प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरोक्त प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 21/03/2022 द्वारा डॉ. दीपक शिन्हा, सदस्य, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्रावार, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा होशीय अधिकारी, होशीय कायालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन बड़ल, कोरका को नियमित किये जाने हेतु सूचित किया गया। लदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 24/03/2022 को स्थल नियोक्ता कर दिनांक 26/04/2022 को नियोक्ता प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/03/2022 को संघन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/नियोक्ता प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित नियोक्ता प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

“नियोक्ता को समय एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा गठित उपसमिति के तीन सदस्य डॉ. दीपक शिन्हा, सदस्य, एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं श्री एन.के. चन्द्रावार, सदस्य, एस.इ.ए.सी. छत्तीसगढ़ तथा श्री अंबुर साह, होशीय अधिकारी, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संस्थान बहुत, कौशल के समय-समय भी उत्तम रूट, खनि नियोजक, पहुंचार श्री महादीन जायसवाल एवं दो खनि सिपाही भी उपस्थित हैं।

पत्र में उल्लेखित शिकायत का विद्यार विवरण एवं नियमानुसार जीव में पाई गई जानकारी निम्नानुसार है:-

- 1) आबादी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिवधित दूरी से कम है।

समिति द्वारा जीव करने पर पाया गया है कि लोअ क्षेत्र से सभीपर्याआबादी की दूरी लगभग 600 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 (पद्धति संशोधित) के अनुसार आबादी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिवधित दूरी से अधिक है।

- 2) खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित या सरक्षित बन की सीमा है।

समिति द्वारा जीव करने पर पाया कि लोअ क्षेत्र से बन भूमि दूरी लगभग 520 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 (पद्धति संशोधित) पहुंचार को आवृत्ति क्षेत्र, बन क्षेत्र की नियांशित दूरी की सीमा के बाहर है।

- 3) खदान में 8 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्थनन पट्टा स्थीकृत किया गया है बर्तमान में प्रस्तुत माइनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई तक उत्थनन किया जाना चल्लेखित है जो कि किसाने मीटर गहराई तक उत्थनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।

पहुंचार द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार 15 मीटर गहराई तक उत्थनन करने की योजना का उल्लेख है नियोजन के रास्य पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक की स्थीकृत उत्थनन पट्टा क्षेत्र एक छोटी पहाड़ीनुमा (small hilllock) ने आवरित क्षेत्र है। अतः योजना में प्रस्तावित गहराई न होकर कंचाई से सम्बद्धित है। बर्तमान में स्थीकृत पट्टा क्षेत्र के एक छोटे से भाग में उत्थनन किया जा रहा है जो लगभग 15 मीटर है, माझस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुखा नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिकायत जीव की कार्यवाही हेतु संसाधनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना सुनित होगा।

- 4) पहुंचार द्वारा बर्तम ढंप की कंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा रुलोप 45 दिनों से अधिक ढंप किया जाकर नियम के विरुद्ध घटटी/गुरुम को काय किया जा रहा है साथ ही यूकारोपण नहीं किया गया है।

यह शिकायत का विद्यु गाइन एक्ट एवं सेपटी रुल से सम्बद्धित है। अतः उसकी जीव की कार्यवाही हेतु संसाधनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

समिति के समझे यह भी संज्ञान में आया कि पहुंचार द्वारा नियांशित बाहरी 7.5 मीटर यूकारोपण नहीं किया गया है, जो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन है।

- 5) बर्तम रो सतही जल प्रभावित न हो को रोकने के लिए रिटर्निंग बाल तथा गारलैंड की व्यवस्था नहीं की गई है।

स्थीकृत क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण बर्तम सतह में आता है, रिटर्निंग बाल तथा गारलैंड बनाया जाना चाहे, जो नहीं बनाया गया है। पर्यावरणीय स्थीकृति में निहित शाति अनुसार गारलैंड ढुन एवं सेटलिंग पौधों का निर्माण नहीं किया गया है।

पहुंचार द्वारा समिति के समक्ष यह संझान में आया गया कि खणिज क्लॉब्र के समीप ही एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें वर्षी जल समिति होस्टल यार्ड बाटर रिहाई होता है।

- 6) लीज क्लॉब्र के चारों तरफ 7.5 मीटर का सेपटी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर बैक्ट डंप किया जा रहा है।

स्थीकृत लीज क्लॉब्र में 4 मीटर के दूरी तक ऐस्ट डंप नहीं होना पाया गया है, उत्क्षण बैक्ट में 7.5 मीटर की सेपटी जोन नहीं छोड़ा गया है।

- 7) वर्ष 2016 में कामता 60,000 पनगीटर हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य सतरीय पर्यावरण समाप्ति नियारण प्राधिकरण द्वारा कामता 33,000 टन की अनुमति दिया गया था, पुनः पहुंचार द्वारा कामता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन पत्र इस वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

खणिज अधिकारी कोरका द्वारा प्राप्त जानकारी की आधार पर 2016 से आज दिनांक तक नियारित सीमा 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं 33,037 टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्क्षण का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन आवेदित क्लॉब्र में लीज क्लॉब्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले हैं जिसकी असेसमेंट को लिए संचालनालय भीमिकी एवं खणिकमे छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना चाहिए होगा।

उपरोक्त जीव के राज्य पर्यावरण सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण तथा जो उपसमिति के सदस्यों द्वारा उल्लेखित किया जाना आवश्यक समझा गया दो निम्नानुसार है:

- लीज क्लॉब्र के चारों ओर कोपल सीमा स्थापित है। लीज क्लॉब्र के चारों ओर नियमानुसार पोर्टिंग कार्य नहीं किया गया है।
- 7.5 मीटर सीमा क्लॉब्र के चारों ओर मृश्योपण नहीं किया गया है।
- लीज क्लॉब्र के आलापास नियारित सीमा के बाहर उत्क्षण पाया गया है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभावी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. दिनु क्रमांक 3 के परिपेक्ष में माइस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक खुदाई को देने पर सुख्ता नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिक्षण और कार्यवाही हेतु संचालनालय, भीमिकी एवं खणिकमे छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
2. दिनु क्रमांक 4 के परिपेक्ष में ओपर बर्डन डंप की ऊंचाई सीढ़ी से तथा स्लोप के संकेत में जीव की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भीमिकी एवं खणिकमे छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही पहुंचार द्वारा नियारित कारंट्री 7.5 मीटर में तृक्षान्तोपण नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1996 के तहत परियोजना प्रस्तावको प्रिलद्द वैद्यानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय कानूनीति अधिकारीपत्र किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मंडल को लेख किया जाए।
3. दिनु क्रमांक 5 के परिपेक्ष में पर्यावरणीय स्थीकृति में निहित सात अनुसार गारलेप्ट ड्रेन एवं सोटलिंग पौप्प का निर्माण नहीं किये एवं दिनु क्रमांक 6 के परिपेक्ष में उत्क्षण क्लॉब्र में 7.5 मीटर की सेपटी जोन नहीं छोड़े जाने के कारण

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विकल्प वैशाखिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय शतिष्ठिति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

4. बिन्दु कामांक 7 के परिपेक्ष्य में आवटित क्षेत्र में लौज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रभाव निलें हैं जिसके असौरोगेट के लिए संचालनालय भीमिकी एवं खगिकर्म छत्तीसगढ़/दीखीएनएस को लेख किया जाए।
5. लौज क्षेत्र के बारो और नियमानुसार फैसिल कार्य नहीं किये जाने के लिए संचालनालय भीमिकी एवं खगिकर्म छत्तीसगढ़/दीखीएनएस को लेख किया जाए। साथ ही लौज क्षेत्र के आसपास नियांसित सीमा के बाहर उत्थनन किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विकल्प वैशाखिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय शतिष्ठिति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

तदानुसार एवरईआईए.ए. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 08/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के बायम से तथ्य प्रस्तुत किये हैं। परियोजना प्रस्तावक के अध्यनानुसार—

- उपसमिति द्वारा किये गए निरीक्षण के दीर्घन पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण नहीं करने हेतु डिप्पणी गी गई थी परन्तु निरीक्षण के उपरात दिये गए दिशा-निर्देश अनुसार बर्तनान में धूकालोपण, गारलेष्ड फ्लैट का निर्माण तथा सोक फ्लैट आदि का निर्माण कर दिया गया है। अतः उपसमिति पुनः निरीक्षण कर सकती है।
- सूक्ष्म रेति एक ही खदान है तथा कोविन के कारण उक्त खदान को टीक से छला भी नहीं पाए है एवं मेरी सिद्धति काफी दबनीय है। बर्तनान में अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरी विकल्प वैशाखिक एवं पर्यावरणीय शतिष्ठिति अधिरोपित किया जाना है। इस विषय में मुझे पहले हमी कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है अतः सुधार का एक मौका दिया जाए। मैं पर्यावरण स्वीकृति के समर्त नियमों का पालन करूँगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के बायम से प्रस्तुत तथ्य अनुसार, बर्तनान में धूकालोपण, गारलेष्ड फ्लैट का निर्माण तथा सोक फ्लैट आदि का निर्माण कर दिया जाना बताया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लेखित तथ्यों के संबंध में रथत निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा देखित याचिनि
जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरण में अवलोकन
पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्थीरता /
टीजीआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

१. श्री अशोक सिंह राजपूत, निवासी गाम-फिरोइर, लहसील-राजिम, जिला—गरियाबंद

ओनलाइन आवेदन — प्रधानमंत्री नम्बर — एसआईए / शीर्षी / एमआईएन / 201561 / 2022, दिनांक 04 / 07 / 2022। मेसर्स बासीन फ्लैट स्टोन माईन (प्रो.— श्री प्रमोद सिंह चौटेल), गाम-बासीन, लहसील-राजिम, जिला—गरियाबंद को जारी पर्यावरणीय स्थीरता को श्री अशोक सिंह राजपूत, निवासी गाम-फिरोइर, लहसील-राजिम, जिला—गरियाबंद के नाम पर नामांतरण (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण —

१. यह खदान गाम-बासीन, लहसील-राजिम, जिला—गरियाबंद के संसद क्रमांक 1326 / २, कुल लौज हीन ०.४ हेक्टेयर, फार्डी पत्थर (खनिज खनिज) उत्खनन खदान हामता—३,०३२ टन प्रतिघण्ठ की है।
२. पूर्व में राज्य सरकर पर्यावरण समाधान नियंत्रण प्राधिकरण, छत्तीशगढ़ के जापन क्रमांक ७१८, दिनांक २८ / ०६ / २०२१ द्वारा उक्त हामता हेतु मेसर्स बासीन फ्लैट स्टोन माईन (प्रो.— श्री प्रमोद सिंह चौटेल) को नाम से पर्यावरणीय स्थीरता जारी की गई है।
३. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाता), जिला—गरियाबंद के संशोधित आदेश क्रमांक ९२१ / ख.लि. / न.उ. / २०२१–२२ गरियाबंद, दिनांक २१ / ०२ / २०२२ द्वारा “श्री अशोक सिंह राजपूत” के नाम पर एलओआई जारी किया गया है।
४. मेसर्स बासीन फ्लैट स्टोन माईन (प्रो.— श्री प्रमोद सिंह चौटेल) द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता को श्री अशोक सिंह राजपूत के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / ०९ / २०२२ को रायन १२४वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभार्य उपरोक्त सर्वसम्मति को निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

१. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता में असिरोपित गती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोडाप्स सहित प्रस्तुत की जाए।
२. विमत वर्षी में बिए गए उत्खनन की कारस्तविक भाजा की जानकारी खनिज विभाग से प्रभावित करकर प्रस्तुत की जाए।
३. नाईनिंग घान का हस्तांतरण श्री अशोक सिंह राजपूत के नाम पर किये जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त याचिनि जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को रायानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्सॉ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, गाम-बनेशर एवं तुलसी, तहसील-तिल्डा, जिला-रायपुर

ओनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एसआईए / 80507 / 2022, दिनांक 13/07/2022। भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13/07/2022 को लैज केंद्र 260 हेक्टेयर से कम होने के बाबत राज्य स्तरीय प्रभाव आकलन प्रणिकरण, उत्तीर्णगढ़ को दृष्टिकोण दिया गया है।

गाम-बनेशर एवं तुलसी, तहसील-तिल्डा, जिला-रायपुर (कुल लैज केंद्र 74.843 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्थनन खदान क्षमता-18,00,000 टन प्रतिवर्ष) में विधित खदान मेसर्सॉ सीमेंट, पी.ओ.-डैकुण्ठ, जिला-रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्थीकृति को मेसर्सॉ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, के नाम पर नामांतरण (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्रस्ताव का विवरण -

1. यह खदान गाम-बनेशर एवं तुलसी, तहसील-तिल्डा, जिला-रायपुर के कुल लैज केंद्र 74.843 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्थनन खदान क्षमता-18,00,000 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/120/2006-IA.II(M) दिनांक 18/04/2007 द्वारा कुल लैज केंद्र 74.843 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्थनन खदान क्षमता-18,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्सॉ सीमेंट पी.ओ.-डैकुण्ठ, जिला-रायपुर के नाम से पर्यावरणीय स्थीकृति जारी की गई है।
3. मेसर्सॉ सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्थीकृति को मेसर्सॉ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर संस्थानरण किये जाने बाबत मेसर्सॉ सीमेंट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्सॉ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (A division of मेसर्सॉ टेक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा पूर्व में मेसर्सॉ सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में अधिसूचित कर्ता का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संश्ळेषण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के इकायन क्रमांक 615 / TS / CECB / 2008, दिनांक 04/02/2008 द्वारा चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्थनन खदान क्षमता-12,00,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं बायु संधारण सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/02/2021 तक की अवधि हेतु प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. मेशनल कॉर्पोरेशन ली. ट्रिब्युनल, बैच, मुंबई के आदेश दिनांक 03/07/2019 द्वारा COMPANY SCHEME PETITION NO. 4236 OF 2018 CONNECTED WITH COMPANY APPLICATION NO. 701 OF 2018 IN THE MATTER OF SECTION 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISION OF THE COMPANIES ACT 2013 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF DEMERGER AMONGST CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED AND ULTRATECH CEMENT LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS बाबत जारी आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्सॉ सीमेंट टेक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं मेसर्सॉ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी गोई और रिसील्यूशन की प्रति प्रैषित की गई है।

8. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हारा जारी ऑफरेकटों की सूची प्रस्तुत की गई है।
9. मेसर्स एण्ड आर्टिकल्स और एसोसिएशन ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. अवश्यक उत्तीर्णगढ़ सासन स्थानिक साधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एक 7-3/2019/12 हारा जारी आदेश अनुसार मेसर्स सेचुरी टेपस्टाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में जिला-रायपुर, तहसील-तिल्दा के अंतर्गत गाम-बड़ोसर ए तुलसी के बूल रक्षा 74.843 हेक्टेयर पर दिनांक 30/09/2002 से 29/09/2032 तक के लिए खानिज घुना पत्थर के रवीकृत खनिपट्टा का अंतरण शेष अवधि के लिए कंपिय प्रयोजनात्मक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में जारी की गई है।
11. भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान घूरा, क्षेत्रीय खान नियंत्रक ग्राहीलय के द्वारा दिनांक 18/02/2020 हारा मेसर्स सेचुरी सीमेंट के नाम से दिनांक 12/11/2018 को जारी अनुमोदित नाईनिंग घान को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

प्राधिकरण हारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण हारा नस्ती/दस्तावेज का अपलोकन किया गया। प्राधिकरण हारा विभार चपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स सेचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु मिशन अतिरिक्त राति के अंदीन जारी करने का निर्णय लिया गया।

"Project proponent shall submit previous Environmental Clearance compliance report within 15 days."

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिसेवित अन्य राति यथावत् रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

3. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, गाम-बड़ोसर एवं तुलसी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 80506 /2022, दिनांक 13/07/2022। भारत सरकार, पर्यावरण, एवं जलपायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली हारा दिनांक 13/07/2022 को सौंज क्षेत्र 250 हेक्टेयर से कम होने के कारण राज्य सरकारी प्रभाव आकलन प्रयोजन, उत्तीर्णगढ़ को द्रांसफर किया गया है।

मेसर्स सेचुरी सीमेंट पी.ओ. ऐक्यात, जिला-रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, गाम-बड़ोसर एवं तुलसी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, बूल लौज क्षेत्र 237.003 हेक्टेयर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. खदान गाम-बड़ोसर एवं तुलसी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर के बूल लौज क्षेत्र 237.003 हेक्टेयर घुना पत्थर (मुख्य खनिज) संस्थान खदान कमता-18.00,000 टन प्रतिवर्ष के नाम परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है।

2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/121/2006-IA.II(M) दिनांक 06/09/2007 द्वारा कुल लीज कोर्ट 273.003 हेक्टेयर में से 237.07 हेक्टेयर, चूना पल्लव (मुख्य खण्डित) उत्तराखण्ड छदान क्षमता—18,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स सैचुरी सीमेंट पी.ओ. बैकूप्ट, जिला-रायपुर को नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। तथाप्यात् भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/121/2006-IA.II(M) दिनांक 06/09/2007 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी की गई है।
3. मेसर्स सैचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स सैचुरी सीमेंट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (A division of मेसर्स सैचुरी टेक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा पूर्व में मेसर्स सैचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरौपित राती का पालन किये जाने बाबत् आप्य पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान नहल, नवा रायपुर अटल नगर को ज्ञापन क्रमांक 194 / TS / CECB / 2019, दिनांक 05 / 04 / 2019 द्वारा चूना पल्लव (मुख्य खण्डित) उत्तराखण्ड छदान क्षमता—18,00,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वस्तु सम्बन्धि नवीनीकरण जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 03 / 08 / 2019 तक की अवधि हेतु है।
6. मेशनल कॉर्पोरेशन ली ट्रिब्युनल, बैच, मुंबई को आदेश दिनांक 03 / 07 / 2019 द्वारा COMPANY SCHEME PETITION NO. 4236 OF 2018 CONNECTED WITH COMPANY APPLICATION NO. 701 OF 2018 IN THE MATTER OF SECTION 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISION OF THE COMPANIES ACT 2013 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF DEMERGER AMONGST CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED AND ULTRATECH CEMENT LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS बाबत् जारी आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्स सैचुरी टेक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी ओफ रिसील्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।
8. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी डॉयरेक्टरों की शूचि प्रस्तुत की गई है।
9. मेशनल एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कलर्यालय के ज्ञापन दिनांक 10 / 02 / 2021 द्वारा मेसर्स सैचुरी सीमेंट के नाम से दिनांक 12 / 11 / 2018 को जारी अनुगोदित नाईनिंग प्लान को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।
11. मेसर्स सैचुरी टेक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जारी नाईनिंग लीज डॉड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संघम्य 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अपलोड किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभार्ता उपरांत सर्वेसम्मति से निर्णय लिया गया कि—

- मेसारी सेंचुरी टैकसटाईल एफ्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जारी भाईजिंग लीज और वे मेसारी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने वाले शाम्य प्राधिकारी से सहीपित भाईजिंग लीज और की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित सत्ता के पातन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोचाप्स सहित प्रस्तुत की जाए।
उपरोक्त कार्यत जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक सत्ता आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को सदानुसार राखित किया जाए।

4. मेसारी निरोस इनपात्र प्राईवेट लिमिटेड, याम-एचसीआर, तहसील-भिलाई, झिला-चुर्ग (संविधालय का नस्ती क्रमांक 1696)

आवेदन – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2014 की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में दिनांक 20/07/2022 के मतभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के राते क्रमांक 34 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India/SEIAA, Chhattisgarh." अनुसार अनुमति प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 791, दिनांक 10/08/2016 द्वारा प्राप्त नं. 14-ए की सी. एवं एवं 15(पाई) हेती इण्डस्ट्रीजल एरिया, भिलाई में कुल क्षेत्रफल 20 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत इंगाट / विलेट - 30,000 टन प्रतिवर्ष से - 90,000 टन प्रतिवर्ष (पूरी स्थापित इच्छवशन पानी 2 गुणा 5 टन + क्षमता विस्तार के तहत 2 गुणा 10 टन), रीसिंग मिल क्षमता - 90,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैरिफ्लायर - 1 नग क्षमता 8,750 सामान्य प्रानमीटर / पंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

- उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्कार मण्डल के ज्ञापन क्रमांक 857, दिनांक 06/05/2022 द्वारा एम.एस. पाईप कैपिलेशन, क्षमता - 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है। तदानुसार उक्त स्थिति की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

- प्रस्तावित प्रक्रिया ही जाईए. अधिसूचना 2006 के अंतर्गत शोब्यूल के किसी भी केटेगरी के अंतर्गत शामिल नहीं है। तथैव, पाईप फैब्रिकेशन सूचिया हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आपेक्षित नहीं है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी केटेगरी के अनुसार यह फैब्रिकेशन एवं हाईमियरिंग बूनिट के तहत "फ्लाइट केटेगरी" के अंतर्गत घर्मीकृत है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
- उल्लंघन प्रक्रिया में माइल्ड स्टील शीट को फैब्रिकेशन कर (गोडकर इलेक्ट्रिक आर्क लेलिंग पद्धति द्वारा बैल्ड कर) एम.एस. पाईप के रूप में फैब्रिकेटेड किया जाएगा। प्रक्रिया का विवरण (manufacturing process for MS Pipe Fabrication) प्रस्तुत किया गया है।
- इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं होगा। तथैव पायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण नहीं होगा। सत्यानि स्कैप को उद्योग परिवार ने ही इन्हलकाशन फर्मेस में रिसाईकल कर लिया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — सुपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विवरणी संघर्षांत सर्वसम्मति से सुपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरोक्त संघर्षांत अनुशासन किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के रामेश प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

- गैरसरी हल्दीझरिया आर्डिनरी स्टॉन क्वारी (प्रो.— श्री शशि कुमार अय्याल), याम—हल्दीझरिया, तहसील—पत्थलगांव, जिला—जशपुर औनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 290408 / 2022, दिनांक 08/08/2022। श्री नवनीत कुमार अय्याल, निवासी याम—लुकेग, तहसील—पत्थलगांव, जिला—जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को गैरसरी हल्दीझरिया आर्डिनरी स्टॉन क्वारी (प्रो.— श्री शशि कुमार अय्याल), याम—हल्दीझरिया, तहसील—पत्थलगांव, जिला—जशपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण —

- यह स्वादान याम—हल्दीझरिया, तहसील—पत्थलगांव, जिला—जशपुर की खसरा क्रमांक 326, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, साधारण पालघर (खानी खानिज) उत्तरानन स्वादान क्षमता—13,393.52 टन प्रतिवर्ष की है।
- पूर्व में जिला स्वीय पर्यावरण समाचार नियांरण प्राधिकरण, जिला—जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 133, दिनांक 21/02/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु श्री नवनीत कुमार अय्याल के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खानीज शास्त्री), जिला—जशपुर के आदेश क्रमांक 191 / खानीज / 2020 जशपुर, दिनांक 30/07/2020 द्वारा "श्री शशि कुमार अय्याल" के नाम पर श्रीय अवधि (मूल स्वीकृत अवधि दिनांक 06/02/2007 से 05/02/2037 तक) हेतु उत्तरानियटटे का अंतरण किया गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खणिज खाता), जिला-रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक /308ए/खालि-2/2021 रायगढ़, दिनांक 02/07/2021 द्वारा "भी शशि कुमार अग्रवाल" के नाम पर रियाईज़ रखारी पतान जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा ऐठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संघन्न 128वीं ऐठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभर्ता उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति गे अधिरोपित सती के पालन में की नई कार्रवाई की जानकारी फौटोफ्राफ़िस राहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत कार्यों में किए गए उल्लंघन की कास्तिक मात्रा की जानकारी खणिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।
3. भी नवनीत कुमार अग्रवाल द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति को भी शशि कुमार अग्रवाल के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त विधित जानकारी/दस्तावेज़ द्वारा होने उपरोक्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. बैसरी कटील अर्थोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मिलाई इस्पात संबंध, चाम-महामाया एवं दुलकी, जिला-बालोद के विलद्द माननीय न्यायिक मणिस्ट्रोट प्रथम लेनी छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरण संचालन मंडल द्वारा दायर अपराधिक प्रकरण क्रमांक 422/2017 एवं उससे संबंधित माननीय छत्तीसगढ़ एव्य न्यायालय गे दायर प्रकरण क्रमांक CRMP 2993/91 द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/08/2022 के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित पत्र में जानकारी प्रस्तुत की नई है, जिसमें शोधीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल द्वारा दायर परियोजना के पत्र क्र. 1-V2013(ENV)Y134 dated 10.01.2013 एवं बन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. 1-V2013(ENV)Y134 dated 10.01.2013 एवं सदस्य संचिय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, रायपुर के पत्र क्र. 3398 दिनांक 27.09.2013 का उल्लेख करते हुए अपराधिक प्रकरण दायर किया गया है, जिसमें निम्नानुसार लेखा है:-

1. प्रकरण में पर्यावरण एवं बन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2002, 20 अक्टूबर 2004, 26 अक्टूबर 2005 एवं 7 दिसंबर 2004 का उल्लेख करते हुए सेल को माईनिंग लीज कैथला समाप्ति के पश्चात (लीज नवीनीकरण) के समय पर्यावरण स्थीकृति की आवश्यकता का उल्लेख किया गया और यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त पर्यावरण स्थीकृति सेल ने नहीं ही है। (परियोजना का पत्र 12)
इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनि पट्टे वा नवीनीकरण खणिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ सासान के आदेश दिनांक 13.02.2006 से, पूर्वीय अभाव 04.11.2001 से जारी किया गया है। इससे पूर्व लीज नवीनीकरण

के संबंध में राज्य शासन हारा नपर आदेता न होने से एवं पर्यावरण एवं उन भौतिक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों में भी स्पष्टता न होने से, सेल सुपरीजन इलेक्ट्रिक परिपत्रों के अनुसार पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन करने में असमर्थ था। पर्यावरण एवं उन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2002 में लौज नवीनीकरण के समय पर्यावरणीय स्थीकृति की घोषिता पर नवारात्रिक अभिनव देता है एवं इसके बाद जारी परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2004 में लौज नवीनीकरण हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति की अवश्यकता प्रदर्शित करता है एवं इस आईए अधिसूचना 2006 में लौज नवीनीकरण एवं पर्यावरणीय स्थीकृति की आवश्यकता हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिनांक 13.12.2012 को समिष्टित की गयी।

2. वर्ष 2001–2002 से 2014–2015 तक का उत्पादन जिसे विश्वी पर्यावरणीय स्थीकृति के था। अतः यह उत्पादन न्यायसंगत नहीं था जिसमें कारण माननीय न्यायिक नियमस्ट्रेट प्रथम लेणी दिल्ली राज्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संख्यन मंडल, दुर्ग द्वारा आपराधिक प्रकरण द्वारा का 422/2017 दायर किया गया।

इस संबंध में परिवोजना प्रस्तावक का लक्ष्यन है कि खनि पट्टे में सेल ने इस आईए नोटिफिकेशन 2006, जिसमें माह में अधिसूचित होने के मुछ दिन पश्चात त्वरित बार्थाही करते हुए पर्यावरण एवं उन भौतिक द्वारा जारी करने हेतु माह दिसंबर 2006 में आवेदन कर लिया गया था। इसके पश्चात् पर्यावरण एवं उन भौतिक से अप्रैल 2007 में टीओआर जारी कर EAC Soay एवं जन सुनवाई का निर्देश दिया। जिसमें जनसुनवाई क्रमांक: फरवरी 2011 एवं मई 2011 में दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले में सम्पन्न हुई। इनके पश्चात् सेल द्वारा लगातार प्रयोजन के बाद जारी 2015 में पर्यावरणीय स्थीकृति इस खनि पट्टे हेतु जारी की गई। इस संबंध में सेल द्वारा जिसे मर्ये विभिन्न प्रकाशनों (जगमग 6 प्रकाशन) विभिन्न EAC मीटिंग (जगमग 4 मीटिंग) एवं दो जिले में नियत होने से 2 जन सुनवाई का उल्लेख पर्यावरणीय स्थीकृति अनुमति पत्र में है। सेल ने इस आईए नोटिफिकेशन 2006 जारी होने के उपरांत पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त करने हेतु सतत प्रयत्न किया। परन्तु दोनों पक्षों के विभागीय गतिविधियों के कारण अनुमति प्राप्त करने में जिलम्ब हुआ तथापि इस पुरे समयावधि में भी सेल संबंधित पर्यावरण एवं उन भौतिक संपर्क में था एवं हर आवश्यक सूचना का आदान प्रदान पूरी तरफ से किया जा रहा था।

3. इस प्रकरण में परिवाद प्रत्युत करने हेतु मंडल द्वारा पर्यावरण एवं उन भौतिक नई दिल्ली के पत्र क्र. 1-I/2013(ENV)/114 dated 10.01.2013 एवं सदस्य संचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल, रायपुर के पत्र क्र 3398 दिनांक 27.09.2013 का भी उल्लेख है। (परिवाद का पैरा 5)

इस संबंध में परिवोजना प्रस्तावक का लक्ष्यन है कि प्रकरण के मूल में प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिनांक 12.03.2011 में हुई एक शिकायत जिसमें की दुलकी खदान (भृहामाया दुलकी खदान का द्वितीय पौजा) शुल्क होने से होने वाले पर्यावरण को होने वाले नुकसान की परिकल्पना शिकायतकर्ता द्वारा की गई जिसे पर्यावरण एवं उन भौतिक दिल्ली ने इसी त्रै समय तक रहे पर्यावरण स्थीकृति हेतु प्रकरण से अनावश्यक रूप से जोड़ दिया गया एवं इसे वर्ष 2001 में लौज नवीनीकरण को दीजन पर्यावरणीय स्थीकृति न लेने से Violation प्रकरण मानते हुए मेल पर कर्तव्याही के निर्देश जारी कर दिए एवं शिकायतकर्ता को एक

compliance report भेज दी गई। इस संबंध सेल ने कोई प्रकाशन पर्यावरण एवं तब मंत्रालय, बाही नीची के संरचना से भी की पर इस संबंध में सेल को कोई राहत नहीं दिली। सेल ने माननीय सत्र न्यायालय, बालोद में अपराधिक पुनरीकाण न्यायिक अ. 59/2018 के माध्यम से, अपराधिक प्रकरण अ. 422/2017 में जारी आदेश दिनांक 11.09.2017 की सुनीती दी, जिसे माननीय सत्र न्यायालय, बालोद के आदेश दिनांक 29.03.2019 से खारिज कर दिया। सेल ने इस आदेश दिनांक 29.03.2019 वाले न्यायिक अ. CRMP No 2593/19 के माध्यम से माननीय सत्र न्यायालय में सुनीती दी एवं वर्तमान में यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायिक भिजिस्ट्रट प्रधान बैठी दल्ली राजहस्त में लखित है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रवालय पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक ने विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी/इस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभासी उपरांत संवर्तनामिति से उपरोक्त तारीख के परिमेय में परीक्षण उपरांत उपरांत अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के समल प्रत्युत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को राजानुसार सूचित किया जाए।

7. मेहरां रटील अधीरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मिलाई इस्पात संघर्ष को दल्ली फारेस्ट रेज, जिला-बालोद

मेहरां रटील अधीरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मिलाई इस्पात संघर्ष को दल्ली फारेस्ट रेज, जिला-बालोद के विलहु माननीय न्यायिक भिजिस्ट्रट प्रधान बैठी दल्लीराजहस्त में उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दायर अपराधिक प्रकरण द्वारा दिनांक 91/20 एवं माननीय संवित्र न्यायालय के WP (C) no 114/2014 कामन वाले विलहु युनियन ओफ इण्डिया एवं अन्य द्वारा परिवर्तित विर्य दिनांक 02.08.2017 बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/08/2022 के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित पत्र में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें दोनों अधिकारी, उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दायर अपराधिक प्रकरण क्रमांक 91/20 किया गया है, जिसमें राजानुसार लेख है—

1. यहां खनि पट्टे से लौह अवशक का प्रसंस्करण प्रारंभ (सीज प्रारंभ तिथि 23/08/1963) ने ही इसी खनि पट्टे से संस्पर्शी (contiguous) सेल के एक अन्य खनि पट्टे राजहस्त हिल्स में स्थित "दल्ली कलिंग रुडीनिंग एवं गाहिंग संघर्ष" में होता रहा है जिसका उल्लेख शुरुआत से ही खनि पट्टे के माइनिंग घास एवं CTO हेतु दिए गये आवेदनों में है।
2. CTO पूर्व में "दल्ली आथरन और भाइन (Dalli Iron Ore Mines) एवं इसके पश्चात दल्ली मेकेनाइज्ड गाइन" के नाम से कमता 5.55 निलियन टन प्रतिशत के लिए पूर्ववती भव्य प्रदेश पर्यावरण मंडल एवं उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण मंडल द्वारा दिया जाता रहा है। इस खनि पट्टे में CTO की उपलब्धता को दायर अपराधिक प्रकरण में भी उल्लेखित है। प्रारंभ में ही इसका CTO एवं अन्य न्यायिक स्वीकृति "दो लीज एक भाइन के" रूप में ही जाती रही एवं इसकी राज्यपूर्ण उत्पादन लक्ष्य से संबंधित न्यायिक स्वीकृतियां इसके संस्पर्शी खनि पट्टे में समाप्तिर नहीं हैं, ऐसा इस खनि पट्टे से संबंधित सभी हितावारको द्वारा जाता रहा।

3. इंडिएर नोटिफिकेशन, 2006 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति देने में "दो लीज एक माईन" की संकल्पना में स्पष्टता न होने से, सेल ने उक्ता खानि पट्टे में उत्पादन कार्य दिनांक 17.02.2017 से स्वतः के क्रियेक से ही बंद कर दिया, जो की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) no 114/2014 कामन काज विरुद्ध शुभियन आप इकिया एवं अन्य द्वारा पारित गिरीय दिनांक 02.08.2017 से पूर्ण है।
4. इस खानि पट्टे का अपना अलग से "point of sale" एवं "point of dispatch" नहीं है ना ही इस खानि पट्टे में कोई प्रसंस्करण संयंत्र है एवं इस खानि पट्टे का लौह अवश्यक पैदा () में उल्लेखित "दल्ली कॉशिंग, स्कॉरिंग एवं कॉशिंग संयंत्र" के माध्यम से प्रसंस्करित होता हुआ। संस्पर्शी खानि पट्टे में स्थित रेलवे साइलिंग की माछ्यम सी भित्ताई इसप्रत संयंत्र को वर्ष 1963 से प्रेषित किया जाता रहा।
5. इस खानि पट्टे की बन स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता न होने बावजूद संबंधित बस्तावेज है एवं लीज नवीनीकरण के दौरान राज्य रासान द्वारा जारी पत्र में भी पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता संबंधित कार्यन का उल्लेख नहीं था, जबकि बन स्वीकृति नवीनीकरण एवं खनन योजना प्रस्तुत कर लीज अनुबंध करने का आदेश दिया गया था।
6. इसी दौरान वर्ष 2006 में पर्यावरण एवं बन मजालय द्वारा जारी defaulting units में सी इस खानि पट्टे का उल्लेख नहीं था एवं सेल से संबंधित अन्य खानि पट्टे "हिंसी बोलीमाइट खदान" का उल्लेख था।
7. इस खानि पट्टे में ऐसे बन स्वीकृति, ऐसे लीज अनुबंध एवं खनन योजना सहित अन्य वैज्ञानिक स्वीकृतियों प्राप्त है एवं वर्तमान में इस खानिपट्टे से करवारी 2017 से उत्पादन भी नहीं हो रहा है तथा सेल इस खानि पट्टे में उत्पादन प्रारंभ करने हेतु आवश्यक सभी वैज्ञानिक स्वीकृति लेने को प्रतिष्ठित है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संघन 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दरसावेज का अदलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभांग उपरांत सार्वसम्मति से उपरोक्त लघ्यों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशासा किये जाने हेतु प्रबन्धन को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के रामग प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मैसर्स महाबीर कौल बौशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (संचिवालय का नस्ती अन्मांक 1222)
- ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रयोगजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ /सीएमआईएन/ 67036/2021, दिनांक 26/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोगजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ /आईएनली/ 290283/2022, दिनांक 26/08/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति में पुनः संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ग्रामन क्रमांक 1420, दिनांक 26/09/2021 द्वारा मैसर्स महाबीर कौल बौशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर स्थित खसारा क्रमांक पाट ऑफ 79/1, 78, 96, 80, 81, पाट ऑफ 82, 84, 86, 87, पाट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2 युल लैवफल – 16.37

एकड़ में प्रस्तावित कौल याशरी खगता-0.99 मिलियन टन प्रतिघर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता जारी किया गया है।

तत्पश्चात् एसआईआईए.ए. छत्तीसगढ़ के आधान क्रमांक 85, दिनांक 21/04/2022 हारा याश्री पर्यावरणीय स्थीरता में "खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 85, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2" के स्थान पर "खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 79/2, 93/1, 90/3, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2" हेतु पर्यावरणीय स्थीरता में संशोधन जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक हारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेचित एव्य गिनानुसार है-

- जारी पर्यावरणीय स्थीरता दिनांक 28/09/2021 में बुटिवा खसरा क्रमांक 68/2 के स्थान पर खसरा क्रमांक 85 का उल्लेच हो गया है तथा प्रस्तावित उद्योग हेतु भूमि विवरण लालिका में खसरा क्रमांक 85 की सूची में S.No.1 एवं S.No.8 में खसरा क्रमांक बुटिवा गलत लिखा गया है जिसमें सुधार बनते हुये S.No.1 का पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 79/1 के रकमा 1.13 एकड़ के स्थान पर रकमा 1.17 एकड़ तथा S.No.8 के खसरा क्रमांक 85 के स्थान पर खसरा क्रमांक 68/2 सुधार किया जाये तथा रकमा 0.64 एकड़ के स्थान पर 0.6 एकड़ सुधार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः भूमि विवरण लालिका गिनानुसार है-

S.No.	Khasra No.	Area (In Acres)
1.	Part of 79/1	1.17
2.	78 & 85	5.70
3.	80	0.52
4.	81	0.39
5.	Part of 82	0.74
6.	84	0.39
7.	87	0.70
8.	68/2	0.60
9.	Part of 55	0.87
10.	56	1.64
11.	59/1	1.97
12.	58/1	0.42
13.	58/2	0.42
14.	Part of 79/2	0.37
15.	Part of 93/1	0.21
16.	Part of 90/3	0.26
Total		16.37

- प्रस्तावित याशरी हेतु प्रभुका प्रस्तुत भूमि विवरण में कुल खसराती की संख्या 16 एवं कुल रकमा 16.37 एकड़ था और बुटि सुधार उपरात नी यथावत् रहेगी। यह त्रुटि typographical mistake के कारण हुआ है। उक्त सभी खसरे मेंसह महावीर कोल याशरीज प्राइवेट लिमिटेड की आविष्यता की है, जिसके बी-1 खसरा की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- खसरा क्रमांक एवं रकमा में जारी पर्यावरणीय स्थीरता आधान क्रमांक 1420, दिनांक 28/09/2021, संशोधित पर्यावरणीय स्थीरता क्रमांक 85, दिनांक 21/04/2022 एवं शमता विवरार हेतु आवेदित प्रस्ताव क्र. एसआईए/ सीजी/



/सीएमआईएन/ 77245/2022, दिनांक 25/05/2022 में लिखित संस्कृता क्रमांक एवं रकमा में त्रुटि सुधार हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक ने विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परियोज्य में परीक्षण उपरांत उपयोग अनुशासन किये जाने हेतु प्रकरण को एसडीएसी_छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा प्राप्त आवेदन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन परियोजना प्रस्तावका से प्राप्त किया जाए।

एसडीएसी_छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावका को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स दुलदुला फिल्स अर्थ वले बवारी एण्ड फिल्स विमनी फिल्स फ्लाट (प्रौ.- श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), गाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जशपुर ओमलाईन आवेदन – प्रधानमन्त्री – एसडीएसी/सीजी/एमआईएन / 290458/2022, दिनांक 28/08/2022। भी महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी गाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला फिल्स अर्थ वले बवारी एण्ड फिल्स विमनी फिल्स फ्लाट (प्रौ.- श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), गाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जशपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह प्राप्तान गाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जशपुर के सासारा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल लीज हेक्टेयर 2.255 हेक्टेयर, मिट्टी (ग्रीन खनिज) उत्खनन खदान कामता-1,400 घनमीटर (इंट उत्पान इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में जिला सरकारी पर्यावरण समाधान प्राधिकरण, जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 106, दिनांक 21/02/2017 द्वारा उत्पान कामता हेतु भी महेश प्रसाद गुप्ता के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के पृ. आदेश क्रमांक 758/९/ख.शा./2017 ज्ञापन, दिनांक 28/08/2017 द्वारा “श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता” के नाम पर रोप अवधि (मूल स्वीकृत अवधि दिनांक 10/12/2010 से 09/12/2040 तक) हेतु उत्खनियटटे का अंतर्वन किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक /1852/खनिज/खलि. 3/उत्खनन यो./2020, दिनांक 04/12/2020 द्वारा “श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता” के नाम पर रिकाईज़ बवारी प्राप्त जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक ने विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में अधिसूचित गति के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फॉटोशॉफ्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
- विभावर्षी वे किए गए उल्कानन की वास्तविक मात्रा की प्राप्तवाही खनिज किमान से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।
- बी नहेक प्रसाद गुप्ता द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति को मेतर्स दूलदुला विकल अर्ध के क्षेत्री एवं विकस विभावी विकस प्लॉट (प्रो.- श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त वाहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स हल्डीइरिया आर्डिनरी स्टोन कोर्पोरी (प्रो.- श्री शशि कुमार अच्छाल), पाम-हल्डीइरिया, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1957)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 259276 / 2022, दिनांक 03 / 03 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कसियी होने से इापन दिनांक 08 / 03 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26 / 03 / 2022 को आवेदित प्रकरण को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान शाम-हल्डीइरिया, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर के खसारा ज़िले का 326, बूस लीज बोर्ड 1 हेट्टेबर खाड़ारण पालन (गोण खनिज) उल्कानन खदान कागड़ा-9,970.52 टन प्रतिकर्ष की है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26 / 03 / 2022 के माध्यम से प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राचिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकारण पर प्राचिकरण की दिनांक 15 / 03 / 2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राचिकरण द्वारा मस्ती/दस्तावेज का अपलोकन किया गया। प्राचिकरण द्वारा विभीत संघरात सार्वसम्मति को परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्राप्त प्रस्ताव को प्रस्तावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह चुम्बाव दिया जाता है कि वह मात्र सारकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी है आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी नाईडलाईन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स अशोहा स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, शाम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 843ए)

ओनलाईन आवेदन - प्राप्तीजल नगर - एसआईए /सीजी /आईएनडी/ 286359 /2022 दिनांक 01/08/2022 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण -

- मेसर्स अशोहा स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स अशोहा आवरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, शाम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स अशोहा स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, शाम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ के नाम से करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में मेसर्स अशोहा आवरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज को एस.ई.आई.ए.प., छत्तीसगढ़ के झापन क्रमांक 900 /एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./ई.सी./रायपुर/843ए अटल नगर, दिनांक 28/06/2021 द्वारा मेसर्स अशोहा आवरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, खस्ता क्रमांक 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3, कुल क्षेत्रफल- 2,698 हेक्टेयर, शाम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ को इंप्रेवेन पर्सनल (16 टन गुणा 3 नग) (स्टील इगार्ड्स/चिलेट्स) कमता-1,46,500 टन प्रतिवर्ष एवं सोलिंग मिल (टी.एम.टी. चैम्पर शेड, एगल, बैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पञ्च) कमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ावाएं 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (फर्नेस ऑयल/प्रोड्युसर गैरा) तथा कोल गैरीफायर कमता-7,000 रामान्ध घनमीटर प्रतिघंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न गैहल, नवा रायपुर अटल नगर के झापन क्रमांक 8896 /TS/CECB/2022, दिनांक 07/03/2022 द्वारा इंप्रेवेन पर्सनल (12 टन गुणा 3 नग) (स्टील इगार्ड्स/चिलेट्स) कमता-1,18,800 टन प्रतिवर्ष एवं सोलिंग मिल (टी.एम.टी. चैम्पर शेड, एगल, बैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पञ्च) कमता-1,46,250 टन प्रतिवर्ष तथा कोल गैरीफायर कमता-7,000 रामान्ध घनमीटर प्रतिघंटा हेतु के लिए जल एवं बायु स्थापना सम्मति जारी की गई है।
- भारत सरकार कारपोरेट कार्य भवालय द्वारा मेसर्स अशोहा स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को जारी स्टॉफिळ्फॉट और इनकारपोरेशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- मेसर्स अशोहा स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स अशोहा आवरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित गती का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- मेसर्स अशोहा स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स अशोहा आवरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज द्वारा अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संघर्ष 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:-

- मेसर्स अर्थोहा आयरन एण्ड कंटील हृष्टकस्ट्रीज से मेसर्स अर्थोहा कंटील एण्ड पीवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर किये जाने हेतु समर्त विधिक प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।
 - ट्रान्काफर एक्सीगेट (भूमि, प्लॉट भवीनही एवं अन्य) संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।
 - बोर्ड ऑफ बीयरेकटन की सूची प्रस्तुत किया गया।
 - पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति में अधिसौंचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी पोटोडाप्सा सहित प्रस्तुत की गया।
- उपरोक्त वाइट जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया गया।

एजेंट्स आयटम क्रमांक-5

भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र (Circular) दिनांक 06 / 05 / 2022 – "Mechanism for handling ToR applications for issuing Standard Terms of Reference (ToRs) or referring to EAC / SEAC through PARIVESH portal - reg." के परिपेक्ष में विचार एवं पालन हेतु।

- मेसर्स एम.आर. हाईट्रोफाईजेश (पार्टनर- श्री निर्भल अच्छाल), प्लाट नं. 1ए, 1वी एवं 2आई, हैवी इण्डस्ट्रीजल एरिया हृष्टकस्ट्रीज, निलाई, जिला-दुर्ग (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 2017)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ श्रीजी/ आईएनडी/ 76840 / 2022, दिनांक 11 / 05 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैकी इण्डल्ट्रीजल एरिया हृष्टकस्ट्रीज, निलाई, जिला-दुर्ग लिप्त प्लाट नं. 1ए, 1वी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में कानक विकार की तहत इन्हक्सन पनीर (एम.एस.विलेट्स) कमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, रि-टील्ड रिटल कमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (धू-हीट चार्जिंग कमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष एवं धू-रि-हीटिंग कमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पार्ट्स कमता – 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र (Circular) दिनांक 06 / 05 / 2022 – "Mechanism for handling ToR applications for issuing Standard Terms of Reference (ToRs) or referring to EAC / SEAC through PARIVESH portal - reg." के परिपेक्ष में अवलोकन किया गया प्रस्तावित है।

प्राधिकरण द्वारा ऐडक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण वर्ती दिनांक 15 / 09 / 2022 को संपन्न 128वीं ऐडक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विनश्च उपरात सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरात उपयुक्त

अनुशासा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के सम्बन्ध प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को ददानुसार सूचित किया जाए।

एलेक्षा आयटम क्रमांक-6

अधिकारी भौदय की अनुभावी से अन्य विषय।

- मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीप्लाई एरिया, शाम—गोदबारा, तहसील व जिला—रायपुर

ऑनलाईन आवेदन — प्रायोगिक नम्बर — एसआईए / सी.सी. / आईएनसी / 242996 / 2021, दिनांक 04 / 12 / 2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण —

- मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, शाम—गोदबारा, तहसील व जिला—रायपुर को एम.एस. बिलेट (धू. इण्डक्शन फार्मेस विथ सी.सी.एम) कामता — 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं शी—रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (धू. हॉट चार्ज) कामता — 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करने वाले आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347 / एस.ई.आई.ए.ए.ए.छ.ग. / ई.सी. / रायपुर / 535 अटल नगर, दिनांक 06 / 06 / 2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, शाम—गोदबारा, तहसील व जिला—रायपुर सिवत शासन क्रमांक 1 / 4, कुल वैत्रफल — 1.82 हेक्टेयर (निली भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 डेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (धू. इण्डक्शन फार्मेस विथ सी.सी.एम) कामता — 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं शी—रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (धू. हॉट चार्ज) कामता — 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, शाम—गोदबारा, तहसील व जिला—रायपुर का अधिग्रहण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को नाम से होने का उल्लेख करते हुए पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347 / एस.ई.आई.ए.ए.ए.छ.ग. / ई.सी. / रायपुर / 535 अटल नगर, दिनांक 06 / 06 / 2019 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हस्तांतरण करने वाले अनुरोध किया गया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु मिम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं—
 - मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनको जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
 - मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बोर्ड रिसाल्यूशन की प्रति।

- iii. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरा औद्योगिक क्षेत्र, चाम-गोदखारा, तहसील व ज़िला-रायपुर लिंगराज लक्ष्मांक 1/4, कुल क्षेत्रफल - 1.82 हेक्टेयर (मिजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (धू. इण्डिकेशन फैब्रिक विधि सी.सी.एम) कमता - 1,63,044 टन प्रतिक्षर्व (4 नग गुणा 12 टन) एवं श्री-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (धू. हॉट चार्ज) कमता - 1,50,000 टन प्रतिक्षर्व हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- iv. सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पार्ट ऑफ खसरा लक्ष्मांक 372/1, कुल क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर, औद्योगिक क्षेत्र उत्तरा चाम-सरोरा, ज़िला-रायपुर वो दिनांक 04/09/2021 को संपादित सीज छीड़ की प्रति।
- v. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण भवान को ज्ञापन दिनांक 17/07/2020 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को उक्त कमता हेतु जारी जल एवं वायु स्थापना सम्बन्धि पत्र की प्रति।
- vi. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, ज़िला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन लक्ष्मांक / जिल्हासंबंधी-पा / नू.आ./ 2021/3692 रायपुर दिनांक 04/09/2021 द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड वो औद्योगिक क्षेत्र उत्तरा ज़िला-रायपुर में खसरा लक्ष्मांक 372/1 का भाग, चाम-सरोरा, रायना 0.2 हेक्टेयर भूमि का आवंटन संबंधी पत्र की प्रति।
- vii. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निजी भूमि के क्षय संबंधी दस्तावेज की प्रति।
- viii. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के भव्य प्लाट एवं नशीनरी, ओफिस विल्डिंग आदि कुल का 2,27,48,789.79/- रुपय इन्वाईट की प्रति।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/12/2021 को संपन्न 117वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड वो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित रही के पालन की अवधान स्थिति सहित पालन प्रतिवेदन मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड वो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा लक्ष्मांक 1/4, कुल क्षेत्रफल - 1.82 हेक्टेयर (मिजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) का चलानेया किया गया है, जबकि सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संपादित सीज छीड़ की प्रति एवं कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, ज़िला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन संबंधी पत्र में पार्ट ऑफ खसरा लक्ष्मांक 372/1 का चलानेया किया गया है। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्त्वाभ्यं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित रही के पालन की अवधान स्थिति सहित पालन प्रतिवेदन एवं

उपरोक्तानुसार भूमि के खासता क्रमांक के संबंध में सिविल स्पष्ट करने की सुविधा आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की 117वीं बैठक दिनांक 30/12/2021 एवं ज्ञापन दिनांक 10/01/2022 के परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रमांक दिनांक 04/01/2022 एवं 19/01/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संघन 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अपलोडन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिकारित राती का पालन प्रतिकेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अद्यतन सिविल से अवगत जानकारी कि वर्तमान में उद्योग द्वारा पूर्व में कमता विस्तार के तहत एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 895/एस.ई.आई.ए.ए. छ.ग./एसआईए/सीजी/आईएनडी/536 नया रायपुर, दिनांक 22/01/2018 द्वारा मेरसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को श्री—शौल्क स्टील प्रोफेक्ट्स (छ. हॉट चार्ज) कमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, का ही संचालन किया जा रहा है। तत्पश्चात् उद्योग द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./ई.सी./रायपुर/536 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेरसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को एम.एस. बिल्ट (छ. हॉटफैक्शन फर्नेस लिंग सी.सी.एम.) कमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं श्री—शौल्क स्टील प्रोफेक्ट्स (छ. हॉट चार्ज) कमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, के परियोजने में कोविड के कारण इफेक्शन फर्नेस की कार्यपना सम्भव नहीं हो पायी है।
2. उद्योग द्वारा भूमि के खासता क्रमांक के संबंध में सिविल उपषट करते हुये अवगत कराया गया कि मेरसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के समीप कल उपलब्ध भूमि – 1.62 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) थी। उक्त दोनों भूखंड को मेरसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेरसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत क्रय-विक्रय पंजीयन दस्तावेज के अनुसार निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर का खासता क्रमांक 1/4 एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर का पाई और खासता क्रमांक 372/1 है तथा पर्टी नम्बर निरेंक है।
3. पूर्व में सी.एस.आई.डी.सी. भूमि का आवंटन किया गया तत्त्वमय एलीट नम्बर निरेंक था एवं खासता क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया था। चूंकि पूर्व में मेरसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड ने सी.एस.आई.डी.सी. भूमि से उक्त गूरुखंड को लौज पर प्राप्त किया था। तत्त्वमय उस भूखंड के खासता का अटाकन नहीं होगे का सुलझेख किया गया है। अतः उसमें कोई खासता क्रमांक का उल्लेख नहीं था। किन्तु जब मेरसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त भूखंड को अपने पक्ष में लौज का हस्तांतरण कराया गया तभ तक उस भूखंड के खासता का अटाकन कर, उसे पाई और खासता क्रमांक 372/1 किया गया, जो कि लौज छोड़ तथा कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग बोर्ड रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/जिलान्तरीय/भ.आ./2021/3692

रायपुर, दिनांक 04 / 09 / 2021 हारा जारी भूमि का आवंटन संबंधी पत्र की प्रति
संघर्ष है।

4. उद्घोग हारा अनुशोध किया गया है कि:-

- एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./६.
सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 हारा मेसर्स लिंगराज
स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड की जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के परिपेक्ष
में इष्टहवशन फर्नेश की स्थापना नहीं की जा सकी है, जूँके पर्यावरणीय
स्थीकृति में दो गई जारी की अनुपालन हेतु भूखंड से स्टील डिवीजन की
स्थापना हेतु पर्याप्त फ्रीम बेल्ट एवं रेनकाटर हावेस्टिंग के व्यवस्था करने हेतु
उपलब्ध भू-भाग की निष्पादन के दौरान अपर्याप्त पाया गया। तत्परतात
स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु उद्घोग से लगी हुई निजी भूमि को क्रय
करना प्रस्तावित किया गया।
- उद्घोग की छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय मंडल के ज्ञापन क्रमांक
3612/टीएस/सीईसीबी/2020 नका रायपुर अटल नगर, दिनांक
17/07/2020 हारा स्थापना सम्मति जारी की गई थी, किंतु स्टील उद्घोग
में व्याप्त मंदी के कारण तथा अतिरिक्त भूखंड के अभाव के कारण उपरोक्त
विस्तार का निष्पादन संभव नहीं हो पाया। साथ ही कोडिङ-19 महामारी के
आजाने के कारण उद्घोग की आर्थिक स्थिति खारब हो गई, तदुपरांत मेसर्स
लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त उद्घोग को मेसर्स एस.ई.
ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड हारा स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु
उद्घोग से लगी हुई निजी भूमि को क्रय किया गया। जिसके खसरा क्रमांक
1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13 कुल होत्रफल 1.676 हेक्टेयर की
उद्घोग के नाम पर पंजीयन करा लिया गया है।
- उद्घोग हारा पूर्ण वासित भूमि 1.676 हेक्टेयर एवं इतनान में ज्ञय भूमि 1.676
हेक्टेयर भूमि को सामिल करते हुए कुल 3.496 हेक्टेयर भूखंड उपलब्ध है।
इस सदर्म में उद्घोग हारा पर्यावरणीय स्थीकृति पत्र में नये ज्ञय किए गये
अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13
कुल होत्रफल 1.676 हेक्टेयर पर एम.एस. बिलेट (धू इष्टहवशन फर्नेश की
पी.सी.एम) कामता - 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) की स्थापना
के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस बायत् प्रस्तावित
विस्तार का रिवाइज़ ले-आउट, उक्त कामता भूमाग को सामिल करते हुए
प्रस्तुत किया गया है।
- उपरोक्ता तथ्यों एवं दस्तावेजों के अधार पर प्राधिकरण हारा विचार विभार
तपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित जारी के
पालन प्रतिवेदन की अनुपालन के परिपेक्ष में परीक्षण द्वारा उपयुक्त अनुशासा

किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के सम्बन्ध प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवी किया गया अंतिरिक्त भूक्षेत्र छातीसगढ़ क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, कुल हेक्टेक्स 1.676 हेक्टेक्स को भी जोड़ने के अनुच्छेद को अमान्य किया गया। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के हांदर्ने ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा विधिवत् औन्नलाईन आवेदन किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्त्वाभ्यास सार्वजनिकता से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकरित दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित राती के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिपेक्ष में समस्त सुसंगत ज्ञानकारी / दस्तावेज राहित प्रस्तुतीकारन दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकारन हेतु ली सुनिश्चित कुमार अश्वाल, डाक्टरेक्टर उपसिधत भुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति दिनांक 22/01/2018 एवं 06/08/2019 में अधिरोपित राती का विन्दुकार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
 - i. औदौषिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल पुन व्यवहार किया जाता है तथा घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सैटिक टैक एवं सौफ पिट का निर्माण किया गया है। बॉटर बैटर की स्थापना हेतु फोटोग्राफर प्रस्तुत की गई है।
 - ii. वर्तमान में व्यापक इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च दस्ता का स्क्राबर स्थापित है, जिसमें पार्टिक्यूलेट मेटर का उत्तर्यन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य धनमीटर से कम रखा जाता है। औन्नलाईन रेटक भौगोलिक भासिक डाटा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पार्टिक्यूलेट मेटर का उत्तर्यन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य धनमीटर से कम अवलोकित किया गया है।
 - iii. आतंरिक मार्गी एवं स्टोरेज एरिया में जल छिनकाव की जाती है।
 - iv. आतंरिक मार्गी का पक्कीकरण किया गया है।
 - v. छातीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण नण्डल के ज्ञापन दिनांक 23/06/2018 द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु प्राप्त प्राधिकार की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की है।
 - vi. जल उपभोग हेतु सी.जी.डब्ल्यू.ए. का अनापलित प्रमाण पत्र एवं सी.एस.आई. औ.सी. से किये गये अनुबंध की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 - vii. किये गये रेन बॉटर हार्डिंग हेतु फोटोग्राफर प्रस्तुत की गई है।

- ज्ञा. कृषारोपण के तहत ३४ प्रस्तावना क्षेत्र में 1,500 नये सौंदर्य शोपिंग किलों गये हैं।
- ब. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अखादार में दिए गये जान सूचना (Public Notice) की प्रति प्रस्तुत चीज़ है।
2. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इसके के संबंध में परियोजना प्रस्तावका द्वारा बताया गया कि सूक्ष्म वर्तमान में हुण्डूपश्चान कर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। अतः सीईआर का कार्य उद्योग स्थापना उपरात संचालन के पूर्व पूर्ण रूप से लिया जाएगा। जिसका प्रस्ताव सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अन्य शर्तों को पूर्ण कर जानकारी एवं कोटीशाफ लाहिंत पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
 3. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/01/2018 एवं 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों का प्रभागित अनुपालन प्रतिवेदन एवं कलोजर रिपोर्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण का एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण का एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रभागित पालन प्रतिवेदन एवं कलोजर रिपोर्ट प्राप्त कर शीघ्र ही राज्य संसीक्षा अकान समिति एवं राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकर्षन प्राधिकरण के सम्भव प्रस्तुत किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावका को अवगत कराया गया कि परियोजना क्षेत्र में अतिरिक्त नदीन भूमि को सम्भिलित करना अपना कोफल में पूढ़ि करना है।आईए नोटिफिकेशन 2006 (पर्यावरणीय) ईआईए/ईएमपी स्टडी आवार्डित रहता है। अतः समिति का मत है कि इस प्रकार के प्रकरण पर प्रधिकरण वर्तमान नियमों एवं दिशा-निर्देश अनुसार पृथक से कार्यवाही आवश्यक होगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीईआर का कार्य उद्योग स्थापना उपरात संचालन के पूर्व पूर्ण किये जाने की अतिरिक्त शर्त के अधीन मेसर्स लिंगराज स्टील एप्ल पीयर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों का हस्तांतरण मेसर्स एस.ए.ए. स्टील एप्ल पीयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किये जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्त यद्यावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/08/2022 को संघन्न 126वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

1. मेसर्स लिंगराज स्टील एप्ल पीयर प्राइवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम—गोदवारी, ताहसील व जिला—रायपुर लिंग खाला क्षमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल — 1.82 हेक्टेयर (गिरी भूमि 1.82 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एस.एस. लिमिटेड (एस.इ.पर्यावरण कर्नेस विधि सी.एस.) क्षमता — 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नये गुणा 12 टन) एवं श्री—रोहित स्टील प्रोफेसन (एस.डी.टी. चार्ज) क्षमता — 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

- जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में उल्लेखित भूमि 1.62 हेक्टेयर को मेसर्स एस. कै.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड से लेय किया गया है।
- जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल 0.50 एकड़ (0.2 हेक्टेयर) को सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा दिनांक 27/02/2006 को मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लीज ढीक हस्तांतरित किया गया है।
- कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. भूमि खसरा क्रमांक 372/1, क्षेत्रफल—0.50 एकड़ (0.2 हेक्टेयर) दिनांक 04/09/2021 को मेसर्स एस.कै.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लीज ढीक हस्तांतरित किया गया है।

अतः उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में क्षेत्रफल 0.50 एकड़ (0.2 हेक्टेयर) भूमि शामिल था, उसी भूमि का वर्तमान में मेसर्स एस.कै.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है, तो यह आवश्यक है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में उल्लेखित क्षेत्रफल 0.50 एकड़ (0.2 हेक्टेयर) भूमि जो मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. से लीज में ही गई थी, का वर्तमान में नियन्त्रिकनण अध्यया हस्तांतरण किये जाने वाला प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से भिन्नानुसार विचार किया गया था कि जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा जारी लीज भूमि को मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दर्शाई गई है, वही लीज भूमि का हस्तांतरण मेसर्स एस.कै.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर किया गया है अथवा नहीं? तथा उक्त लीज भूमि जो मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर थी, को नियन्त्रण किया गया है अथवा नहीं? के संबंध वस्तुरिक्ति स्पष्ट करते हुये प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2022 के परिवेद्य में पहियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/09/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 12वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अकलीकान किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया था:-

- कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / जिवाहके-पा/भूआ/2021/465 रायपुर दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी भूमि हस्तांतरण आदेश की प्रति अनुसार मेसर्स एस.कै.ए. स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को पहा में भूमि हक्का 0.2031 हेक्टेयर का हस्तांतरण किया गया है।
- कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / जिवाहके-पा/भूआ/2022/4605 रायपुर दिनांक 07/09/2022 द्वारा आवेदित भूमि में भूमि संबंधित जानकारी की पुष्टि बाबत पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार किया सुपर्यात सर्वसम्मति से मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्थीकृति वही मेसर्स एस.कै.ए. स्टील एण्ड

पौंदर इंडियन लिमिटेड को नाम पर हस्तांतरित (Transferee) किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में अधिरोपित अन्य तर्तु परिवहन रही। परिषोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति में नाम परिवर्तन बाबत पर जारी किया जाए।

वैठक घन्यवाद ज्ञापन की साथ संपन्न हुई।

(डॉ. दीपक शिंहा)

सदस्य

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव
आकलन प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़

(देवाशीष दास)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़

टीप— राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णगढ़ की दिनांक 15/09/2022 को सम्पन्न 128वीं वैठक में तस्वीर गण प्रकरणों में से कोवल एक प्रकारण एजेंप्ला आपटम कमांक-2 के सारल कमांक-5 “मेसर्स मा शारदा निमनलना (प्रो.— श्री आशीष लिवारी, मदिरहसीद लाईम स्टोर कार्यालय), गाम—मटिय हासीद, तहसील—आदम, जिला—शश्यपुर (सविकालय का नम्बरी कमांक 2046)” में समिति द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्य समिति का भिन्न मत निम्नानुसार है। सदस्य समिति द्वारा उक्त प्रकरण को अतिरिक्त और अन्य प्रकरणों हेतु लहराते व्यवहा रही गई।

सदस्य समिति, एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णगढ़ के पतानुसार,

इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि उक्ता एवं कोर्टफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, माईग्रिन विभि एवं माईनेश्वर विभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोवल परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन लाईफ में 5 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष में उत्थनन करना चाहा गया है जिसका उल्लंघन पूर्व में किया जा चुका है तथा पूर्व में लोक सुनवाई दिनांक 10/08/2020 को संपन्न (पर्यावरण कमांक—2.36.670 टन प्रतिवर्ष हेतु) कराई जा चुकी है। अतः आवेदित प्रकरण पर टी.ओ.आर लोक सुनवाई सहित जारी किये जाने की आवश्यकता प्रतियादित नहीं होती है।

उपरोक्त विद्युओं के आधार पर सदस्य समिति का मत है कि आवेदित प्रकरण पर टी.ओ.आर. लोक सुनवाई सहित जारी किये जाने की आवश्यकता प्रतियादित नहीं होती है। अतः उक्त के संबंध में एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ को पुनः उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु मुनः विचार के लिए प्रेरित किया जाए।

(आर.ओ. लिवारी)

सदस्य समिति

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़